

सूचना चाहने के लिए आवेदन का प्रारूप

प्रेषित :-

कार्यालय का भारसाधक,  
कार्यालय  
श्रीमान, लोक सूचना अधिकारी, F.A.A.  
भाषाई अधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी  
उद्यम सिंह नगर

- (1) आवेदक का पूरा नाम NO14565600P HAV NANDAN SINGH (Aad)
- (2) पता : गांव PLOT NO.54A पोस्ट SHRI SHYAM VATI KA  
तहसील BINDAYAKA जिला JAIPUR  
सुरा रोड  
स्टेट Ranathambur पिन 302012
- (3) सूचना की विशेषियां  
(अ) उस विभाग/कार्यालय का नाम जिससे संबंधित है R.P. Cell  
(ब) सूचना की प्रकृति ① PPO NO 188200705620 DT 29 Oct 2020 का  
(स) सूचना का पूर्ण ब्यौर भुगतान आज तक नहीं हो पाया है  
② SERVICE PENSION Bhatta 04-08 से आज तक का Revue  
हुआ DUE, DRAWN के फरक का BAR BAR नहीं मिला  
जामा 14 साल का मिला था मिला नहीं  
③ पुराना EPPC SBI Delhi की PDA बदलने के कारण  
नया EPPC, SBI JAIPUR है जमा ④ PDA के HOME  
Records के PPO TO USN के गैर PPO फेजोन  
फायल के नहीं हो जा सका, भुगतान हुआ नहीं PPO
- (4) क्या पीएस के संवाद का सबूत संलग्न कर दिया गया है। हां/नहीं फायल में नहीं  
में यह और कथन करता हूँ कि चाही गई सूचना अधिनियम की धारा 5 में

अन्तर्विष्ट निर्बन्धन के अन्तर्गत नहीं आती है।

स्थान :- Jaipur

दिनांक :-

समय :- 20.12.2021

16:00 HRS

संलग्न :-

1. Postal order ₹ 10.00

2. PDA मिरर

3. PPO-2020 (3) के लोक फेसबुक

4. आपत्ता 20.6.21 (6) EME Records पर

5. EPPC Delhi 4/8/2021

आवेदक के हस्ताक्षर

(Signature)

NO14565600P HAV DepNbsu  
NANDAN SINGH (Aad)  
M-8564029128

श्रीमान PDS वाले हुआ उसका साथ मुख्य अधिकारी का भुगतान 01.04.08 TO 31.12.21 तक  
आप महत्वपूर्ण करेंगे BAR BAR का भुगतान 01.04.08 TO 31.12.21 तक  
का बिना जोर बिना इसका पूर्ण जांचाई करना नाकि बार बार  
पुकार नहीं कारना पेट साथ ही Foundation  
BAR BAR मिल सेक, फोट  
के लिए प्रमाण

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता:- निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 102 /01/04.04.2022/नि0को0/आर.टी.आई./2022 दिनांक: 05 अप्रैल, 2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय- कोषागार ऊधमसिंहनगर,  
उत्तराखण्ड।

कृपया NO 1456500P Hav.Acpcb Sub नंदन सिंह, प्लॉट नं0 54 A, पोस्ट विधायक, सिरसी रोड, जयपुर, राजस्थान, 302012 का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक रहित इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 04.04.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक रहित संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना, अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रू0 10 भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या "52F 355484" इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी / उप कोषाधिकारी  
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,  
23, लक्ष्मी रोड, देहरादून  
0135/2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि NO 1456500P Hav.Acpcb Sub नंदन सिंह, प्लॉट नं0 54 A, पोस्ट विधायक, सिरसी रोड, जयपुर, राजस्थान, 302012 को सूचनार्थ प्रेषित।

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी / उप कोषाधिकारी  
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,  
23, लक्ष्मी रोड, देहरादून  
0135/2226828

00301  
06/04/2022

✓ श्री जोशी साठ

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय-निदेशक,  
कोषागार पेंशन एवं हकदारी,  
23-लक्ष्मी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।

निदेशक

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के भाग 6(1) के अन्तर्गत सूचना चाहने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं पर सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

1. सहायक लेखाकार से लेखाकार के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित पात्रता अवधि के सम्बन्ध में नियमावली/शासनादेश की प्रति।
2. वर्ष 2021-22 में निदेशालय, कोषागार पेंशन लेखा एवं हकदारी, 23-लक्ष्मी रोड देहरादून में शिथिलीकरण की व्यवस्था के तहत सहायक लेखाकार से लेखाकार के पदों पर की गयी पदोन्नति के सम्बन्ध में पदोन्नति सूची, ~~संलग्नक एवं सम्पत्ति सूची की प्रति।~~

संलग्नक:- 1.नियमानुसार रू0 10/- नकद। सहायक लेखाकार का/कांस्टेबल सामिल की संस्था की प्रति  
2.सूचना प्रेषण में होने वाले अतिरिक्त शुल्क रू0 20/- नकद।

दिनांक:- 29/03/2022

प्रार्थी

(पंकज भट्ट)

पता-42/1 धर्मपुर-1"  
देहरादून, उत्तराखण्ड।  
पिन कोड-248001

श्री. जोशी जी/श्री. प्रसाद जी  
A-70 S/A-0.  
श्री. निर्धारी लक्ष्मण शर्मा प्रदा कोसे  
कार्यालय  
06/04/22

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 148 / 02 / 06.04.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक: 08 अप्रैल, 2022

श्री पंकज भट्ट,

पता- 42/1 धर्मपुर,

1<sup>st</sup>, देहरादून उत्तराखण्ड।

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 29.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 06.04.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा पूर्व में 02 बिन्दुओं में सूचना की मांग की गई थी वर्तमान में आपके द्वारा बिन्दु 01 की सूचना की आवश्यकता नहीं है ऐसा उल्लिखित किया गया है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 02- उक्त मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में शिथिलीकरण का कार्यवृत्त एवं समिति की संस्तुति की प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ-03) संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,

कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,

23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,



( जगत मोहन जोशी )

लोक सूचना अधिकारी /

उप कोषाधिकारी

0135 / 2226828

00323  
06/04/2022

श्री जेजी STO

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी  
कार्यालय निदेशक पेंशन  
निदेशालय पेंशन, कोषागार एवं हकदारी विभाग  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

~~निदेशक~~  
3

सूचना प्राप्ति हेतु  
दिनांक : 26-03-2022  
कुल संलग्नक सं.-02

विषय :- लोक सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु।

महोदय,

मैं आपके स्तर से लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिन्दुओं में वर्णित विषयक सूचनायें उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूँ, जिसका निर्धारित शुल्क दस रुपये मेरे द्वारा पोस्टल आर्डर के माध्यम से अदा किया जा चुका है। जिसका नम्बर 56F-440458 है, जो संलग्नक नं० दो द्वारा आपकी सेवा में प्रेषित है।

1. मेरे द्वारा श्रीमान निदेशक पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड की सेवा में अपना एक प्रत्यावेदन दिनांक 13-09-2021 (संलग्नक नं. 1) आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा से उपलब्ध कराया गया था, जो राजकीय इण्टर कालेज रानीपुर भेल हरिद्वार के फिहलाल सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री जयपाल सिंह चौहान की पेंशन रोकने से सम्बन्धित है।

उक्त पर आपके निदेशालय स्तर से अद्यतन जो भी कार्यवाही सम्पन्न की गयी है, उसका तथ्यों/साक्ष्यों की छायाप्रति के साथ सूचना देने का कष्ट करें।

सधन्यवाद!

अनुरोधकर्ता

राजेन्द्र प्रसाद  
26/3/2022

राजेन्द्र प्रसाद (बालियान)  
'अंजनि सदन' 41, सर्वप्रिय विहार  
कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)  
मो० : 9897306647

श्री जेजी जी STO

श्री निदेशक (पेंशन) सूचना उपलब्ध  
कार्यालय में

06/4/22

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 567 /03/06.04.2022/नि0को0/आर0टी0आई0/2022

दिनांक: 26 अप्रैल, 2022

श्री राजेन्द्र प्रसाद, (बालियान)  
अंजनि सदन 41, सर्वप्रिय विहार,  
कनखल, जिला हरिद्वार  
उत्तराखण्ड मो0 9897306647

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 26.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 06.04.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 01 बिन्दु में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01-उक्त मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या 2389 दिनांक 03 अगस्त, 2021 (पृष्ठ - 01) कार्यालय प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 भेल, हरिद्वार का पत्र संख्या 127 दिनांक 09.08.2021 (पृष्ठ -02) एवं कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौडी के पत्र संख्या 3942-45 दिनांक 21 अगस्त, 2021 (पृष्ठ-04) की प्रमाणित छायाप्रति कुल (पृष्ठ-07) निशुल्क संलग्न है। वर्तमान में पेंशन प्राधिकार पत्र दिनांक 31.08.2021 को निर्गत किया जा चुका है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी  
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी  
उत्तराखण्ड कोषागार, पेंशन एवं हकदारी  
23, लक्ष्मी रोड, देहरादून  
0135/2226828

दि 28/03/2022

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय  
निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवार्थे उत्तराखण्ड  
23 लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून,

विषय - सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहे जाने  
विषयक ।

महोदय, उपरोक्त विषयक सादर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा निम्न  
बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है, कृपया सूचना उपलब्ध करवाने  
की सहति कृपा कीजियेगा जी ।

बिन्दु सं०-01- यदि कोई भी कर्मचारी पूर्व में कार्यरत विभाग से  
पुनः चयनित होकर नव नियुक्त विभाग में नियुक्ति या  
कार्यभार ग्रहण करता है, उस स्थिति में पूर्व में कार्यरत विभाग  
से सम्बन्धित कोषागार से स्लॉ पी० सी० निर्गत करवाने हेतु,  
किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा ?

बिन्दु सं०-02 क्या पूर्व में कार्यरत विभाग में पुनः नव नियुक्त विभाग में  
मौजदान करने के बाद अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र (स्लॉ पी० सी०)  
निर्गत करवाने हेतु, पूर्व में कार्यरत विभाग से त्याग-पत्र देना  
आवश्यक है ?

बिन्दु सं०-03, यदि कोई कार्मिक एक से अधिक विभागों में नव  
नियुक्ति/चयन के माध्यम से अपनी सेवा देता है तो क्या  
उस कार्मिक का अलग-अलग विभाग में वेतन कोड एक ही  
रहेगा या नया वेतन कोड होगा ?

उत्तः महोदय से निवेदन है कि चाही गयी सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

संलग्नक - स्टाम्प पेपर  
को 10/- का ~~सेल~~ डाडर क्रमांक १०  
IN=UK 7610 890679267301

भवदीय 28/03/22

दुर्गा प्रसाद नौटियाल,  
कुंज विहार, फेज-2 (अल्ट्रा मॉडर्न)  
बंजारावाला, डालनवाला-उज्जवपुर खुर्द  
निकट जानकी स्कूल कारगी चोक  
देहरादून, 248001

श्री केवल शर्मा  
सूचना अधिनियम 2005 में प्रदान की गयी  
अथवा सहायक अन्य कार्यवाही हेतु धन्यवाद  
का सम्बन्ध  
P.O. 12/4/22

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 664 /04/ 11.04.2022/ नि०को०/आर०टी०आई०/2022

दिनांक: 29 अप्रैल, 2022

श्री दुर्गा प्रसाद नौटियाल,  
बुज विहार, फेज-2  
(भट्ट मौहल्ला) बंजारावाला,  
डाकघर, अजबपुर खुर्द,  
निकट जानकी स्कूल, कारगी चौक,  
देहरादून - 248001

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 28.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 11.04.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 03 बिन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा अपेक्षित सूचना प्रश्नवाचक रूप में है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।

तथापित मांगी गयी सूचना एल०पी०सी० से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 232 दिनांक 19 अप्रैल, 2010 एवं शासनादेश संख्या 541 दिनांक 17 मई, 2010 (कुल पृष्ठ-03) की प्रमाणित छायाप्रति निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी /  
उप कोषाधिकारी  
0135/2226828

o/c



दिनांक 09-04-2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कोषागार पेंशन एवं हकदारी  
लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून

विषय- स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हेतु आवेदन पत्र  
महोदय,

सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर सूचना देने की कृपा करें।

बिन्दु संख्या 01:- यह कि पुलिस विभाग उत्तराखण्ड में दिनांक 20-04-2002 में नियुक्त कान्सटेबल ( सिपाही) कितने वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त निकट भविष्य में स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किस तिथि, वर्ष से आवेदन कर सकता है।

बिन्दु संख्या 02:- यह कि उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 में स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिये कान्सटेबल ( सिपाही) की उम्र कितनी होनी चाहिए।

बिन्दु संख्या 03:- यह कि उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 में स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद आवेदन पेंशन का हकदार है या नहीं।

संलग्न-पोस्टल आर्डर



रेनू देवी, वार्ड न0-19  
नियर आर्य समाज मन्दिर,  
धुवपुर, पो0 ओ0 पदमपुर सुखरी, कोटद्वार

00616  
18/04/2022

श्री जोशी STO

निदेशक

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 372 / 05 / 18.04.2022 / नि0को0 / आर.टी.आई. / 2022 दिनांक: 20 अप्रैल, 2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय- पुलिस उपाधीक्षक, (एम0)  
पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड,  
12 सुभाष रोड, देहरादून।

कृपया सुश्री रेनू देवी, वार्ड नं0 19 नियर आर्य समाज मन्दिर, घुवपुर, पो0ओ0 पदमपुर सुखरौ, कोटद्वार का पूर्व सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 09.04.2022 जो इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 18.04.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 09.04.2022 संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना, अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रू0 10 भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या "37F 936574" इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

ok  
( जगत मोहन जोशी ) अधिकारी  
लोक सूचना अधिकारी, पेंशन एवं हकदारी  
निदेशालय कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून  
0135 / 2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि सुश्री रेनू देवी, वार्ड नं0 19 नियर आर्य समाज मन्दिर, घुवपुर, पो0ओ0 पदमपुर सुखरौ, कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

ok  
( जगत मोहन जोशी ) अधिकारी  
लोक सूचना अधिकारी, पेंशन एवं हकदारी  
निदेशालय कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून  
0135 / 2226828

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) II उ०प्र० इलाहाबाद

पत्रांक- एस.एस.ए. II/ एल.आई.डी.- 7614 /OUT- 681 दिनांक  
05/11/2020  
विशेष मुद्रांकित

सेवा में,

वरिष्ठ लेखाधिकारी पेंशन  
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन,  
कौलागढ़, देहरादून- 248195

विषय:- श्री चेतराम धारक पी.पी.ओ. संख्या Police-VI/1190/P-12761  
1991  
पेंशन पुनरीक्षित नैराश मुग्तान के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया

उपर्युक्त विषयक विन्न नियोजक ड. प्र. पुलिस मुख्यालय के  
पत्र संख्या च.र-2382-199 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा  
श्री चेतराम का पेंशन सातवें चेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित

करके पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र कोपाधिकारी नरेन्द्र नगर को प्रेषित करने हेतु  
इस कार्यालय को प्रेषित किया है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न करके आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्राधिकरण को अपने स्तर से कोपाधिकारी नरेन्द्र नगर  
को प्रेषित एवं निर्देशित करें कि इस प्राधिकार के अनुसार पेंशन पुनरीक्षित करके श्री चेतराम  
को मुग्तान की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- विशेष मुद्रांकित प्राधिकार पत्र  
(मूलरूप में)

भवदीय  
लेखाधिकारी/पेंशन

पु. पत्र संख्या-एस.एस.ए. II/एल.आई.डी.- 7614 /OUT- 681 तद दिनांक 23/9/2020  
05/11/2020

प्रतिस्तिंग:- विन्न नियोजक ड. प्र. पुलिस मुख्यालय, सरनऊ

1. श्री चेतराम
2. ग्राम - हौद लगा फत पट्टी  
धाना - नरेन्द्र नगर  
जनपद - हिंदी गढ़वाल

श्री [Signature]  
लेखाधिकारी/पेंशन

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता:- निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 359 / 06 / 18.04.2022 / नि0को0 / आर.टी.आई. / 2022 दिनांक: 20 अप्रैल, 2022

सेवा में,

- 1- लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय- उप कोषागार ऋषिकेश  
जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 2- लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय- कोषागार नरेन्द्रनगर,  
जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

कृपया श्री हर्षमणि कोटियाल, पौत्र श्रीमती बसन्ती देवी, भवन संख्या 81, गली सं0 14, सुभाष बनखंडी, ऋषिकेश का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 06.04.2022 इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 18.04.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 06.04.2022 संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना, अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रु0 10 भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या "56F 362708" इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

Mailed  
20/04/2022

dc

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी /  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कोषागार देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 2- श्री हर्षमणि कोटियाल, पौत्र श्रीमती बसन्ती देवी, भवन संख्या 81, गली सं0 14, सुभाष बनखंडी, ऋषिकेश को सूचनार्थ प्रेषित।

dc

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी /  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

श्रीज्योती STO

- FDC ले यहाँ कटें  
Photo copy के लिए की  
निदेशक  
सूचना का अनुरोध-पत्र

Handwritten signature

संभवबद्ध-मामला

(अनुक्रमांक-60) सू.का अधिअधिनियम-2005)

प्रेषिनी,  
श्रीमान निदेशक / लोक सूचना अधिकारी  
कोषागार एवं वित्तिय सेवाएं (पेशान एवं हकदारी)  
23, लक्ष्मी रोड़, उलनवाला (दे. पून)

00637  
18/04/2022

महोदय, कृपया निम्नवत बिन्दुओं पर सूचना प्रकट करने का  
कष्ट करें।

1. राज्य कोषागारों में ऑन लाइन भूगतान सेवा 'ई-पेमेंट' के शुभारम्भ का तिनांडु: एवं वर्ष, तत्कम में पारित आदेश व जनपद स्तर लागू करने का तिनांडु:, अभिलेख प्रकट करें।
2. निदेशालय स्तर पर 'उत्तर-सेटर' की स्थापना संबन्धी आदेश का अभिलेख प्रकट करें।
3. उत्तर सेटर में 'तैनात कार्मिकों/आपरेटर्स की शैक्षिक अर्हताएँ, एवं नियुक्ती का प्रकार' के प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराएँ।
4. कार्मिकों/आपरेटर्स द्वारा कोषागार/उपकोषागारों से प्राप्त उत्तर-पेमेंट प्रमाणिकरण-प्रक्रिया के स्तरों की पूर्णजानकारी संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराएँ।
5. उक्त काम में विभागीय स्तर पर वेबसाइट निर्माण एवं स्थापना, संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराएँ।
6. किस कम्पनी/रैजेन्सी द्वारा (एक या अधिक) उक्त वेबसाइट/साफ्टवेयर का निर्माण किया गया, संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराएँ।

Handwritten signature

- 7 उत्तराखण्ड राज्य में अर्वाह्यत कुल कोषागार/उपकोषागारों की जनपदवार सूची एवं पता, उक्तानुसार पद स्थापित वरिष्ठकोषाधिकारीगण/उपकोषाधिकारीगणों। सहायक कोषाधिकारीगणों के नाम, जो वर्ष 2016-2017 से वर्ष 2021-2022 के मध्य तैनात रहे. प्रमाणिक सूची उपलब्ध कराएँ।
8. बिन्दु सं.-7 से संबंधित समस्त पदस्थापनों के वेतनमान का अभिलेख उपलब्ध कराएँ।
9. बिन्दु सं.-7 में दर्शात पदस्थों से अन्य, कार्मिकों की (यथा लेखाकारों) के दायित्वों की परिसीमा का अभिलेख उपलब्ध कराएँ।
10. उक्त क्रम में, विधिपूर्वक वित्त-संचलन हेतु आवंटित पासवर्ड के, आवंटन की प्रक्रिया संबंधी विनियम एवं आदेशों की प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराएँ।
11. आरोही क्रम में निदेशालय स्तर तक पद एवं गोपनीयता संबंधी नियम/उपनियम एवं क्रमिक आदेशों की पूर्ण प्रमाणिक पत्रावली उपलब्ध कराएँ।

कृपया चाही गयी सूचनाएं समभवतः रूप से प्रकट करके का कट करें।

दिनांक: 04.04.2022 51F  
 सूचनाशुल्क: अंकन ₹10 IPO-681128 संलग्न है।

संक्रमण: 99973 22295

अनुरोध कारी  
 (सु. राजपाल राणा)  
 कड.न. 1, ठाकुरपुर  
 पो.- सत्यनारायण मन्दिर  
 नशाधिपेशा (द. पून)

श्री देवपाल झा  
 सी.एस.ओ. & आ.ओ.सहायक  
 सहायक निदेशक  
 प्रधान कार्यालय  
 प्रमुख कार्यालय  
 देवनागरी  
 18/04/2022

= सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र =

कार्यालय का नाम व पता:- निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 447 / 07 / 18.04.2022 / नि०को० / आर.टी.आई. / 2022 दिनांक: ११ अप्रैल, 2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
समस्त कोषागार,  
उत्तराखण्ड।

कृपया श्री राजपाल राणा, वार्ड नं० 1, टाकुरपुर, पो० सत्यनारायण मन्दिर, ऋषिकेश, देहरादून का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 04.04.2022 जो कि इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 18.04.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी बिन्दु संख्या 7, 8 व 9 की सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 04.04.2022 संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी बिन्दु संख्या 7, 8 व 9 की सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रू० 10 पोस्टल आर्डर संख्या 51F 681128 इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री राजपाल राणा, वार्ड नं० 1, टाकुरपुर, पो० सत्यनारायण मन्दिर, ऋषिकेश, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

संलग्नक 10  
अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

पंजीकृत

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 907 /07/18.04.2022/नि0को0/आर0टी0आई0/2022

दिनांक: 11 मई, 2022

श्री एडवोकेट राजपाल राणा,  
वार्ड नं0 1, टाकुरपुर,  
पो0 सत्यनारायण मन्दिर,  
ऋषिकेश, देहरादून।

कृपया अपने सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 04.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 18.04.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 11 बिन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है। उक्त सूचना के बिन्दु 07, 08 व 09 लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी समस्त कोषागार उत्तराखण्ड को पत्र संख्या 447 दिनांक 22 अप्रैल, 2022 द्वारा पूर्व में ही आंशिक सूचना उपलब्ध कराने हेतु हस्तान्तरित किया जा चुका है।

बिन्दु 01 -के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 03 /XXVIII(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी, 2013 की प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ-07) निशुल्क संलग्न है।

बिन्दु 02- के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 5098/वि0सं0शा0/2001 दिनांक 19 जून, 2001 की प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ-02) निशुल्क संलग्न है।

बिन्दु 03- शासकीय कर्मचारी तथा तकनीकी हेतु कार्यालय आदेश व अनुबन्ध पत्र की प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ-23) निशुल्क संलग्न है।

बिन्दु 04 - क्रमांक 1 तथा आनलाईन विभागीय वेबसाईट [ekosh.uk.gov.in](http://ekosh.uk.gov.in) में आई0एफ0एम0एस0 से सम्बन्धित शासनादेशों को जन सेवार्थ (Public domain) में अभिरक्षित है। जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

बिन्दु 05 व 06- के सम्बन्ध में श्री शशांका कोना, क्षेत्रीय निदेशक, मै0 टेक्नोड्रेन इण्डिया प्रा0 लि0, हैदराबाद एवं मै0 इण्डस वेव सॉल्यूसन प्रा0 लि0 को निर्गत कार्यालय आदेश की प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ-13+15=28) निशुल्क संलग्न है।

बिन्दु 07, 08 व 09-पूर्व में हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। (प्रतिलिपि संलग्न -01 पृष्ठ) तथा राज्य में अवस्थित कोषागार एवं उपकोषागारों की जनपदवार सूची आनलाईन विभागीय वेबसाईट [ekosh.uk.gov.in](http://ekosh.uk.gov.in) में सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत जन सेवार्थ (Public domain) अभिरक्षित है। जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

बिन्दु 10- बिन्दु 01 व 4 के अनुसार।

बिन्दु 11- बिन्दु संख्या 01 व 04 के अनुसार तथा आनलाईन विभागीय वेबसाईट [ekosh.uk.gov.in](http://ekosh.uk.gov.in) में आई0एफ0एम0एस0 से सम्बन्धित शासनादेश एवं कोषागार कर्मचारी नियमावलियां आदि जन सेवार्थ (Public domain) अभिरक्षित है। जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

(कुल पृष्ठ- 60)

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी एवं हकदारी  
उप कोषाधिकारी, देहरादून  
0135/2226828



00638  
18/04/2022

श्री जोशी STO

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/  
कार्यालय-निदेशक (पेंशन)  
निदेशालय-कोषागार पेंशन व हकदारी  
उत्तराखण्ड-देहरादून।

निदेशक  
7

सूचना प्राप्ति हेतु  
दिनांक : 04-04-2022  
कुल संलग्नक सं.-03

विषय :- लोक सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु।  
महोदय,

मैं आपके स्तर से लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिन्दुओं में वर्णित विषयक सूचनायें उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूँ, जिसका निर्धारित शुल्क दस रुपये मेरे द्वारा पोस्टल आर्डर के माध्यम से अदा किया जा चुका है। जिसका नम्बर 56F-440535 है, जो संलग्नक नं० तीन द्वारा आपकी सेवा में प्रेषित है।

1. श्रीमान निदेशक (पेंशन) उत्तराखण्ड स्तर से मेरे शिकायती पत्र दिनांक 01-09-2020 पर कार्यवाही करते हुए श्रीमान महानिदेशक 'विद्यालयी' उत्तराखण्ड अपने निर्देश पत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2020 (संलग्नक नं. 1) पर आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की गयी थी, जो हरिद्वार के तत्कालीन लेखाधिकारी श्री नैथानी के विरुद्ध है, जिसके द्वारा लिपिक ~~की~~ अवैध नियुक्ति को संरक्षण देने एवं उसको वेतन आदि से राजकोष का भारी नुकसान पहुँचाने सम्बन्धी प्रकरण है, जो संलग्नक नं. 2 द्वारा साक्ष्यों सहित सहायक निदेशक संस्कृत हरिद्वार द्वारा उनके पत्र दिनांक 20 जुलाई 2020 (संलग्नक नं. 3) के माध्यम से सिद्ध हो रही है।

उक्त प्रकरण पर आपके पेंशन ~~क्या~~ स्तर से श्री नैथानी तत्कालीन हरिद्वार के लेखाधिकारी की पेंशन कटौती, पेंशन रोकने, अनुदान भरपाई हेतु वसूली की वर्तमान स्थिति ~~पेंशन~~ निदेशालय स्तर पर जो विद्यमान है, उसकी सूचना उपलब्ध कराकर अनुगृहीत करें।

सूचना उपलब्ध कराकर अनुगृहीत करें।

सधन्यवाद!

अनुरोधकर्ता

श्री जोशी AAs  
श्री जोशी राजा समर्थक प्रदत्त  
निदेशक  
18.4.22

राजेन्द्र प्रसाद  
4-4-22

राजेन्द्र प्रसाद (बालियान)  
'अंजनि सदन' 41, सर्वप्रिय विहार  
कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)  
मो० : 9897306647

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 910 /08/18.04.2022/नि0को0/आर0टी0आई0/2022

दिनांक: 12 मई, 2022

श्री राजेन्द्र प्रसाद, (बालियान)  
अंजनि सदन 41, सर्वप्रिय विहार,  
कनखल, जिला हरिद्वार  
उत्तराखण्ड मो0 9897306847

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 04.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 18.04.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 01 दिन्दु में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01-उक्त मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या 3454 दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 (पृष्ठ - 01) एवं पत्र संख्या 6790 दिनांक 20 मार्च 2021 (पृष्ठ -01) की प्रमाणित छायाप्रति कुल (पृष्ठ-02) निशुल्क संलग्न है।

श्री नैथानी का पेंशन प्राधिकार पत्र दिनांक 05.01.2019 को निर्गत किया जा चुका है। वर्तमान में निदेशालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित/लम्बित नहीं है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

दिमागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135/2226828

श्री ज्योशी STO

00953  
23/04/2022

15/216  
7

पंजीकृत

दिनांक 12 अप्रैल, 2022

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय निदेशक, लेखा एवं हकदारी  
(पेंशन) डालनवाला, देहरादून

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 के अन्तर्गत आवेदन-  
पत्र

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 के अन्तर्गत  
निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1- श्री सुधीर कुमार पन्त वर्ष 2012 में अनु सचिव के पद से उत्तराखण्ड  
सचिवालय की राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुये थे। कदाचित वह बाद में  
हल्द्वानी में रहने लगे थे। ज्ञात हुआ है कि श्री पन्त का देहान्त हो गया है।  
श्री पन्त के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट  
करें।

2- रू0 10/- का पोस्टल आर्डर संख्या 53F-002263 संलग्न है।

भवदीय,

3E21  
12/4/22  
(अहमद अली)

जीमती रंज

23/4/22

श्री ज्योशी STO AA-0

23/4/22

17 नवयुग इन्कलेव, मिलन विहार,  
पो0 काँवली जी0एम0एस0 रोड,  
देहरादून  
मोबाईल सं0 9412051807

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 642 /09/23.04.2022/नि0को0/आर0टी0आई0/2022

दिनांक: 28 अप्रैल, 2022

श्री अहमद अली,  
17 नवयुग इन्कलेव,  
मिलन विहार, पो0 कॉवली,  
जी0एम0एस0 रोड, देहरादून  
मो0नं0 9412051807

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 12.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 23.04.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा श्री सुधीर कुमार पन्त से0नि0 अनु सचिव के मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01-उक्त मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में कहना है कि इस निदेशालय में ऐसी कोई सूचना धारित/संचित नहीं है। अतः सूचना शून्य है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी /  
उप कोषाधिकारी

olc 0135/2226828



श्री जे.एस.जी

# गवर्नमेन्ट पेन्शनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उत्तराखण्ड

पंजीकृत संख्या 858 दिनांक 7-3-2001

पत्राचार कार्यालय : साकेत लेन-6, 76/129 राजपुर रोड, देहरादून, 248001

संरक्षक - विपिन चन्द्र चंदोला, आई.ए.एस. (से0नि0), देहरादून, मो. 9412902997

**प्रदेश अध्यक्ष**  
**जे.एस0 जैन**

21 अल्फा ओमेक्स  
रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर  
मो0-9412038644

**प्रदेश महामंत्री**  
**बची सिंह रावत**

टाइप-4, आवास नं.-2  
यू.पी.सी.एल. कॉलोनी, 18 ई0सी0रोड, देहरादून।  
मो0-9412932356

**प्रदेश कोषाध्यक्ष**  
**महेन्द्र कुमार अग्रवाल**

586, रामनगर, पो0 गुरुकुल  
कांगड़ी, ज्वालापुर (हरिद्वार)  
मो0-9410997333

पत्रांक प्रदेश/134-(2)-2022-23-आर0

दिनांक 02-04-2022

सेवामें

लोक सूचनाधिकारी

C/O निर्देशक कोषागार केंद्र एवं एकदारी उत्तराखण्ड  
23 लक्ष्मी रोड डालकवाला देहरादून

00907  
23/04/2022

महोदय,

कृपया सूचनाधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्बंध में कोषागारवाह्य विवरण निम्न प्रकारों में दिया जाय 1

सूचना

क्र.सं.	कोषागार का नाम	विभाग/सेवा/कार्यक्रम का नाम जिसकी व-1-2016 से पेंशन पुनरीक्षण करना था	शा.आ. 205/XXVII (10)/2018-27 (8)/2017 विच अनुभाग 10 देहरादून दिनांक 15 अक्टूबर 2018 के अनुसार पेंशन का 01-01-2016 से पुनरीक्षण	पिन कोड पेंशनरों की उपरोक्त पेंशन में परिवर्तन के लिए पुनरीक्षण	पिन कोड पारिवारिक पेंशनरों की उपरोक्त पेंशन में परिवर्तन के लिए पुनरीक्षण
1					
2					
3					
4					
5					

संलग्न - दस सप्ते का फॉरेस्टर्स भंडर 56F 378086

- सहायक**  
**डॉ.एस0 के0 मलिक**  
रुद्रपुर, मो.-9045937997
- वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार्च मण्डल**  
**भरत लाल साह**  
रुद्रपुर, मो.-7088222098
- वरिष्ठ उपाध्यक्ष मण्डल**  
**मधुसूदन अग्रवाल**  
हरिद्वार, मो.-9837116374
- उपाध्यक्ष कुमार्च मण्डल**  
**हयात सिंह तडागी**  
लौहापाट। मो.-9997368771
- प्रभाकर तिवारी**  
गदरपुर, मो.-9690410290
- प्रताप सिंह गड़िया**  
बागेश्वर। मो.-9927850146
- पान सिंह रीतेला**  
नीतीताल। मो.-9411199033
- उपाध्यक्ष मण्डल**  
**दीपचन्द्र शर्मा**  
देहरादून, मो.-9456493268
- जे.पी. शर्मा**  
रुद्रकी। मो.-9897776353
- टीका प्रसाद उजियाल**  
श्रीनगर गढ़वाल। मो.-9760694482
- देवी प्रसाद काला**  
श्रीनगर गढ़वाल। मो.-9410343923
- प्रदेश मंत्री**  
**जे0एन0 यादव**  
देहरादून। मो.-9458156406  
7060194324
- संगठन मंत्री कुमार्च मण्डल**  
**चन्द्र बल्लभ चिल्लियाल**  
रुद्रपुर। मो.-9411300440
- भुवन चन्द्र जोशी**  
खटीमा। मो.-9410168826
- पूजन सिंह जीना**  
हल्द्वानी। मो.-9410341170
- जे0एल0 वर्मा**  
सोमेश्वर। मो.-9410011514
- संगठन मंत्री मण्डल**  
**आर0डी0अग्रवाल**  
हरिद्वार। मो.-9719636347
- के0एस0 रावत**  
देहरादून। मो.-9917080009
- श्रीमती ऊषा थपलियाल**  
कर्णप्रयाग। मो.-9412118055
- जोत सिंह बिष्ट**  
रुद्रप्रयाग। मो.-9412972208
- प्रदेश सचिव**  
**गोरधन दास गुप्ता**  
रुद्रकी। मो.-9927176612

श्रीमती देवा  
श्री उमा कोषागार के पुनरीक्षण के संबंध में  
श्री अंतर्गत से  
23/4/22

श्री जे.एस.जी  
प्रदेश अध्यक्ष जी.एस.जी. आर.  
उत्तराखण्ड  
21 अल्फा ओमेक्स गिरी  
रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)  
PIN 263153

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 494 / 11 / 23.04.2022 / नि0को0 / आर.टी.आई. / 2022 दिनांक: 25 अप्रैल, 2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
समस्त कोषागार,  
उत्तराखण्ड।

कृपया श्री जे0एस0 जैन, प्रदेश अध्यक्ष, गो0पे0वै0आर0, उत्तराखण्ड, 21 अल्फा, औमेक्स रिबेरो, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर, 263153 का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 02.04.2022 जो कि इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 23.04.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 02.04.2022 मूलरूप में संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रु0 10 पोस्टल आर्डर संख्या 56F 378086 इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

olc

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री जे0एस0 जैन, प्रदेश अध्यक्ष, गो0पे0वै0आर0, उत्तराखण्ड, 21 अल्फा, औमेक्स रिबेरो, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर, 263153 को सूचनार्थ प्रेषित।

olc

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

कार्यालय लोक सूचनाधिकारी / कोषाधिकारी नैनीताल।

पत्रांक- 221 / लो0सू0अ0 / कोषा0 / 2022-23 /

दि0 12/05/2022

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सेवा में,

श्री जे0एस0 जैन  
प्रदेश अध्यक्ष, गो0पे0वै0आर0  
21-अल्फा ओमेक्स रिवेरो  
रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)  
पिन-263153

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपका सूचना का अनुरोध पत्र दि0 02.04.2022 जो लोक सूचनाधिकारी/निदेशक कोषागार पेंशन एंव हकदारी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून के पत्रांक-494/दि0 25.04.2022 (मेल) द्वारा अन्तरित होकर इस कार्यालय में दि0 25.04.2022 को प्राप्त हुआ है के द्वारा मॉगी गई सूचना का विवरण निम्नवत् है।

बिन्दु सं0 01- कोषागार अभिलेखों में वांछित सूचना धारित नहीं है।

यदि आप उक्त सूचना से सन्तुष्ट न हों तो पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी नैनीताल के समक्ष अपील कर सकते हैं।

भवदीय

लोक सूचनाधिकारी

कोषाधिकारी

Treasury Officer  
NAINITAL

प्रतिलिपि- लोक सूचनाधिकारी/निदेशक कोषागार पेंशन एंव हकदारी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

श्री ओ.सी.एस.0

निदेशक  
2

02766

24/05/2022

श्रीमन्त रेजा  
पत्रावली में पुराने से.  
24/5/22लोक सूचनाधिकारी  
Treasury Officer  
NAINITAL

11/05/22

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी  
प्रमुख अभियन्ता / विभागाध्यक्ष

लोक निर्माण विभाग देहरादून

विषय - अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध  
उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने  
का कठक करे।

① प्लान नं. 47B/212 व्यक्त - सा/अ दिनांक 06.04.22 के द्वारा रु. 1,15,707.00  
की गई कर्तव्य का पूर्ण <sup>कार्यवाही</sup> सत्यापित की

2. शर्तों की सम्पूर्ण सेवा का विवरण की सत्यापित की

② गैर एमए 1 दिने गभे पूर्व प्लान पर की गयी कार्यवाही

4. 31.12.2021 को सेवा से बेदाग निष्ठा होने पर भी पेंशन दे

अन्य लाभ न मिलने का कारण व उक्त पर की गयी कार्यवाही

5. सेवा मिलान कार्यवाही को सम्बन्ध सेवा लाभ मिलने का समय  
क्या है उन्हे कठ तक मिल जाना चाहिए

6. सेवा मिलान व वरिष्ठ नागरिक को सूचना दिये जान का प्रावधान  
48 घण्टे है।

संलग्न - 1 रु. 10 रु. के

मर 7895251751

73/50 Malviya Road  
Luxman Chauri

B-112/04/22  
DDM  
248001

~~12/04/22~~

राजेश कुमार जी  
संलग्न अधीक्षण अभियन्ता

63(4162)  
12/04/22



श्री ज्योती इन्फो

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431



लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
"सूचना प्रकोष्ठ वर्ग"  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 384/63(4162)सू0अ0/2022  
सेवा में,

दिनांक- 12/04/2022

अधिशासी अभियन्ता, (प्रथम )  
विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0  
देहरादून।

सहायक लेखाधिकारी,  
लेखा/बजट वर्ग,  
विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0,  
देहरादून।

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अनुरोधकर्ता श्री राकेश कुमार जैन, 73/50, मालवीय रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून-248001 का सूचना अनुरोध पत्र दिनांक-12.04.2022 जो इस कार्यालय में दिनांक-12.04.2022 को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना व्यवस्थापन; क/कैश/बजट वर्ग से सम्बन्धित है।

अतः वांछित सूचना अभिलेखों की पठनीय/प्रमाणित प्रति सहित दिनांक-14.04.2022 तक सूचना प्रकोष्ठ वर्ग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि आवेदक को अभिलेखीय सूचना भी प्रेषित की जानी हो, तो अभिलेखीय सूचना के पृष्ठों की संख्या से भी उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व इस वर्ग को अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि आवेदक को निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि जमा करने हेतु सूचित किया जा सके।

संलग्न-यथोपरि।

(इं0 मुकेश परमार)

लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि-वरिष्ठ/प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन क/कैश वर्ग को अनुरोधकर्ता के सूचना अनुरोध पत्र दिनांक-12.04.2022 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना अभिलेखों की पठनीय/प्रमाणित प्रति सहित निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  
संलग्न-यथोपरि।

प्रतिलिपि:- कैशियर, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवेदक द्वारा अधिनियम के नियमानुसार उपलब्ध कराये गये नकद रू0 10.00 को अधिनियम के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-नकद रू0 10.00

पंजीकृत

प्रतिलिपि:- लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून को अनुरोधकर्ता श्री राकेश कुमार जैन के सूचना अनुरोध पत्र दिनांक-12.04.2022 की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित करते हुए संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गयी बिन्दु सं0-03 व 04 की सूचना आपके कार्यालय स्तर से दी जानी है अतः सूचना समयान्तर्गत अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।  
संलग्न-यथोपरि।

पंजीकृत

प्रतिलिपि:- श्री राकेश कुमार जैन, 73/50, मालवीय रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून-248001 को उनके सूचना अनुरोध पत्र दिनांक-12.04.2022 के कम में इस आशय से प्रेषित कि आपके द्वारा चाही गयी बिन्दु सं0-03 व 04 की सूचना हेतु प्रकरण सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जा रहा है। कृपया तदनुसार सूचना प्राप्त करने का कष्ट करें। इस कार्यालय स्तर पर धारित सूचना आपको पृथक से प्रेषित कर दी जाएगी।

151

00904  
23/04/2022

श्री बेलवाल आर  
को तमप के सूचना उपलब्ध कराना  
कार्यको अंतर्गत

आवेदक से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून के स्तर से दी गयी सूचना से सन्तुष्ट न हों तो, सम्बन्धित कार्यालय के अपीलीय अधिकारी के समक्ष सूचना प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

8

12-4-2022

(शं0 मुकेश फरमार)

लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

10/10/22  
14/4/22

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 756 / 12 / 23.04.2022 / नि0को0 / आर0टी0आई0 / 2022

दिनांक 04 मई, 2022

श्री राकेश कुमार जैन,  
73/50, मालवीय रोड,  
लक्ष्मण चौक, देहरादून।

कृपया अपने सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 12.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या: 384/63(4162)सू0अ0/2022 दिनांक 12.04.2022 के द्वारा अनुरोधकर्ता को 03 व 04 की सूचना उपलब्ध कराने हेतु इस निदेशालय को हस्तान्तरित की गयी है, जो इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 23.04.2022 को प्राप्त/अंकित है।

बिन्दु 03 व 04 - के सम्बन्ध में इस निदेशालय के पत्र संख्या 6840 दिनांक 15 फरवरी, 2022 (पृष्ठ 01), प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग देहरादून के पत्र संख्या 126 दिनांक 07.04.2022 (पृष्ठ 01) एवं पी0पी0ओ0 (पृष्ठ 02) की कुल 04 पृष्ठों की प्रमाणित छायाप्रतियां निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत माहने जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

सेवा

संयुक्त निदेशक  
पेन्शन निदेशालय  
23- लक्ष्मी शेड, जालनवाला  
देहराडून

निदेशक

विषय - पेन्शन विधि/ग्रेजुएट से ड्यूस रं 194661/-  
की धनराशि के रिकवरी के सुदर्भ में/RTI सुना हेतु  
अहोदय

आपके पत्र संख्या PPO UK/13/31/102019/38003  
CARD No - E043 02980 के त्रुटि में प्रार्थी को 30<sup>12</sup>/<sub>2020</sub>  
को पेन्शन स्वीकृत की गई परन्तु रं. 194661/- की धनराशि  
अतिरिक्त अग्रसार की वसूली कर ली गई।

प्रार्थी को प्रस्ताव वेतन 22 में 22 वर्ष की सेवा में  
प्रोव्हीड वेतन मान ली है। त्रुटि का जिनमें प्रार्थी को एक वेतन  
ग्राहक के साथ अग्रसे स्तर पर समाप्त हेतु निदेशानुसार  
22 b का नाम दिया गया, वार्षिक वेतन इन्फि रेंज ली वेतन प्रोव्हीड  
रेगुलरी नर्स रिटायर डाटा रिकवरी आदेश मांगे जा

पत्र सहायक द्वारा प्रधानाचार्य गालु इ. दार दिनांक से सम्पर्क हेतु  
कहा गया, जिनसे उन्हें पत्र सहायक गालु इ. दार के द्वारा रिकवरी  
चार्ज प्रेषित किया गया, जिनमें एक वेतन ग्राहक का परीक्षा  
गयी।

पुनः 7 अप्रैल 22 को अहोदय के कार्यालय में आपकी  
अनुपस्थिति में लेखाधिकारी श्री नेगी से सम्पर्क किया गया,  
जिनके द्वारा G.O No 560 दि. 02/12/2000 का अनुरोध  
काल को कहा गया, साथ ही इन्होंने प्रथी बात कहे कि  
आसहयोगी शुरु एक किया जिनमें प्रतीत होता है कि आसहयोगी  
के तहत प्रार्थी की उपरोक्त धनराशि काबी हुई।

कृतः अहोदय से विवेक है कि प्रार्थी के वेतन प्रकल्प  
का पुनः निर्धारण किया जाय तथा RTI के तहत पेन्शन  
रिकवरी आदेश की प्रति, शासनादेश की प्रति जिनके अन्तर्गत  
रिकवरी की गई एवं शासनादेश सं. 560 दि. 02/12/2000  
उपलब्ध कराने का कठक करेगा, इस हेतु सं. 101- का  
मुन्क स्टैम्पपेपर साथ में संलग्न है।

18-11-7-2022

श्रीमती आर  
अध्यक्ष प्रमुख उपस्थित मंत्रि  
कार्यक्रम

(रमेश दत्त जोशाल)  
जोशाल मंत्रि  
जिहार विहार  
देशवाला, देहराडून

00881  
22/04/2022

"A"  
श्रीमती  
लेखाधिकारी  
अधीक्षिका  
कार्य में

17/4/22

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।

पेंशन निदेशालय से पत्राचार करते समय निम्नलिखित संदर्भ अवश्य इंगित करें।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,  
रा0इ0का0 मालडुधार,  
जनपद टिहरी।

संख्या: 2521/पेंशन प्रपत्र/14060/2020-21

दिनांक: 09/09/2020

विषय: श्री रमेश दत्त डोभाल, से0नि0 प्रधानाचार्य के ऑन लाईन पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 22/पेंशन/2020-21 दिनांक 09.07.2020 के संदर्भ में अवगत कराना है कि :-

1 :- शासनादेश संख्या 91/XXVII(6)/2014 दिनांक 17 अप्रैल, 2015 के बिन्दु संख्या- 17 के अनुसार विभाग के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी से वेतन निर्धारण की जांच नहीं करायी गयी है इस संदर्भ में प्रमाण-पत्र अपेक्षित है, जो उपलब्ध कराया जाना होगा।  
अतः उक्तानुसार लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुए पुनः प्रकरण निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-1. समस्त प्रपत्र मूल रूप में।

भवदीय,


OK

  
(जितेन्द्र नाथ शर्मा)  
सहायक लेखाधिकारी

पत्रांक व दिनांक -- तदैव

प्रतिलिपि: श्री रमेश दत्त डोभाल, से0नि0 प्रधानाचार्य ग्राम रौणिया, पो0ओ0 पाथियाना प्रताप नगर जनपद टिहरी।

OK

  
(जितेन्द्र नाथ शर्मा)  
सहायक लेखाधिकारी

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 696 /13/22.04.2022/नि0को0/आर0टी0आई0/2022

दिनांक: 04 अप्रैल, 2022

श्री रमेश दत्त डोभाल,  
डोभाल भवन, गिरधर विहार,  
हरावाला, देहरादून।

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 11.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 22.04.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा स्वयं के पेंशन रिकवरी आदेश की प्रति एवं शासनादेश की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त रिकवरी से सम्बन्धित आनलाईन प्रपत्र की प्रति (पृष्ठ 03) शासनादेश संख्या 560 दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 (पृष्ठ-02) तथा विभाग से प्राप्त रिकवरी चार्ट की प्रति (पृष्ठ-03) कुल -08 पृष्ठ की प्रमाणित प्रतियां निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना अभिप्राप्त करने हेतु आवेदन

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखंड  
23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला  
देहरादून - 248001

02/32  
12/05/2022

श्री जोशी STO

निदेश  
11/5/22

विषय - निम्न निजी पेंशन से सम्बंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 व 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. आवेदक का नाम              | हरीश चंद्र सक्सेना   |
| 2. पिता का नाम               | श्री कृष्ण चन्द्र सक्सेना  |
| 3. डाक का पूरा पता           | विला नं. 215, 216<br>मेगा ड्रीम होम्स, कर्मचारी नगर, मिनी बाई पास रोड,<br>बरेली -243122 (उ.प्र.) |
| 4. मोबाइल नं.                | 9412200467, 8077433879   |
| 5. ई-मेल                     | कोई नहीं   |
| 6. मांगी गयी सूचना का ब्यौरा | ब्यौरा व सन्दर्भ निम्नलिखित है।  |

महोदय,

आवेदक उत्तराखंड पुलिस विभाग का दिसंबर 2001 से पेंशनर है। मेरा पी.पी.ओ. नंबर RUCI/002/001438 है।

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में और शासनादेश के पत्र संख्या 205/XXVII (10) 2018- 27 (08) 2017 वित्त अनुभाग 10 दिनांक 15.10.2018 के अनुपालन में एस.एस.पी. जनपद हरिद्वार ने आवेदक की पेंशन पुनरीक्षित करके पत्रांक स -262/2003 (स्थायी) दिनांक 01.12.2021 और फिर दोबारा दिनांक 23.04.2022 निदेशक, पेंशन लेखा एवं हकदारी, उत्तराखंड 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून के पास रजिस्टर्ड डाक से, अग्रिम कार्यवाही करने के लिए भेजे थे। यह सूचना आवेदक को लोक सूचना अधिकारी/पुलिस अधीक्षक नगर, हरिद्वार के पत्र पत्रावली संख्या 1298/21 दिनांक 28.04.2022 से दिनांक 02.05.2022 को प्रदान की गयी है। इस पत्र और इसके संलग्नों की छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

एस.एस.पी. हरिद्वार के उपरोक्त पत्रांक स -262/2003 (स्थायी) दिनांक 01.12.2021 व दिनांक 23.04.2022 के सम्बन्ध में आवेदक निजी निम्न सूचनाएं, अंतर्गत धारा 3 व 6(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005, प्राप्त करना चाहता है। कृपया निम्न सूचनाएं प्रदान करने की कृपा करें।

- (1) एस.एस.पी. हरिद्वार के उपरोक्त पत्रांक स -262/2003 (स्थायी) दिनांक 01.12.2021 व दिनांक 23.04.2022 आपके कार्यालय में किस किस दिनांक को प्राप्त हुए हैं।
- (2) उपरोक्त पत्र पर आपके कार्यालय द्वारा आवेदक की पेंशन में सुधार करने और ऐरियर दिलवाए जाने के लिए की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। कृपया कृत कार्यवाही की एक सत्यापित छाया प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।
- (3) पत्र उपरोक्त पर अपेक्षित कार्यवाही किस स्तर पर लंबित है।

श्री विलाल AAO  
को तपाय के ब्यौरा उपलब्ध कराने  
का कष्ट करें।  
R.O. 12/5/22

7. क्या वांछित सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बंधित है

नहीं

8. जमा किये गए शुल्क का ब्यौरा

रूपये 10/- (दस रुपया) का पोस्टल आर्डर नंबर 53F054462 संलग्न है।

9. क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है

नहीं

10. संलग्नकों का सूची

1. उपरोक्त पोस्टल आर्डर - 1 पृष्ठ  
2. पत्र पत्रावली संख्या 1298/21 दिनांक 28.04.2022 की छायाप्रति मय संलग्नक कुल पृष्ठ 7 पृष्ठ

स्थान: बरेली

दिनांक: 6.5.2022

H. J. J. J.

हरीश चंद्र सक्सेना  
(आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर)



## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1302 / 14 / 12.05.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक 30 मई, 2022

श्री हरीश चन्द्र सक्सेना,  
विला नं० 215, 216,  
मेगा ड्रीम होम्स, कर्मचारी नगर,  
मिनी बाई पास रोड,  
बरेली, पिन कोड- 243122

कृपया अपने सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 06.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 12.05.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 03 बिन्दुओं में सूचना की मांग की गई है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01 - एस०एस०पी० हरिद्वार का पत्र दिनांक 01.12.2021 इस निदेशालय को आतिथि तक प्राप्त नहीं हुआ है एवं पत्र संख्या 262 दिनांक 23.04.2022 इस निदेशालय को दिनांक 12.05.2022 को प्राप्त हुआ जिसकी प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ-01) निशुल्क संलग्न है।

बिन्दु 02 व 03 - के क्रम में इस निदेशालय के आपत्ति पत्र संख्या 1092 दिनांक 20 मई, 2022 जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद हरिद्वार को सम्बोधित है तथा आपको पृष्ठांकित है, की प्रमाणित छायाप्रति(पृष्ठ-01) निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी,  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

ok

2 नवंबर

02453  
19/11/22 श्री लोको संसाधन

श्रीमान जन सूचना अधिकारी  
अपर निदेशक काकागा पेशान,  
लुकादारी 23, लक्ष्मी राड डालन वाला  
देहरादून

प्रतिक

विषय:- सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 का धारा 6 के  
अंतर्गत निर्धारित आवेदन शुल्क के संबंध में।

मेरे विषय उपरोक्त विषय सूचना का अधिकारी 2005 का धारा  
6 के अंतर्गत निर्धारित आवेदन शुल्क रूप में 10/- (दस रुपये -  
मात्र) का पोस्टल ऑर्डर आपके पक्ष में दिये गए हैं।  
संख्या 56F 122230 दिनांक 09/05/22 संलग्न कल इस  
अनुबंध के साथ प्रेषित है कृपया निर्धारित सूचना विभाग  
नुसार उपलब्ध कराने की कृपा करें  
विवरण सूचना

आधिकारिता अभियंता के-दीप भद्र खण्ड - 3 कालाजठ में  
अपने पत्रांक 1189/के.भ.खं-3/इं.सी-2/पेशान। तारीख  
3.12.2021 सूचित किया था कि मेरा पेशान पुनरीक्षण संभव  
प्रकरणा आपके कार्यालय को राजीव डाम द्वारा प्रेषित  
कर दिया गया है। अतः इस संबंध में आप निर्धारित  
सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें

(1) उक्त पेशान प्रकरणा (पुनरीक्षण) पर आपके कार्यालय द्वारा  
क्या कार्यवाही की गई है

(2) कार्यवाही पश्चात पुनरीक्षण प्रकरणा किस कार्यालय में  
आदि कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। मकको आवृ  
दिनांक 9.5.2022 तक आपकी ओर से कोई सूचना प्राप्त  
नहीं हुई है। कृपया मुझे सूचित करने की कृपा करें।

श्री केलावल AAO  
सूचना उपलब्ध कराने  
नाम  
26/11/22 P.L.O.

मेरे विषय उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अलावा कोई  
सूचना उपलब्ध कराने में शुल्क की कमी है तो आवेदक को  
निर्धारित सूचना भेजकर आंकड़ों शुल्क जमा कराने की कृपा करें।  
मांगा गई सूचना अधिनियम की अपवाजित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती  
है दिनांक:-

संलग्नक: (1) भारतीय पोस्टल ऑर्डर

(2) पूर्व पत्रों की द्वाया प्रतिलिपि  
। संख्या (20)

प्रार्थना  
10/11/22

असंगत उल्ला खंवा  
को:- मिश्रापुश  
पोस्ट:- डामा- किरतपुर  
जयपुर:- लितगा  
Mobile No:- 91141937000

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1453 / 15 / 19.05.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक 04 जून, 2022

श्री असमत उल्ला खां,  
निवासी- मौहल्ला मिर्जापुर,  
पो०-बसी किरतपुर, जनपद बिजनौर,  
उत्तर प्रदेश।

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 10.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 19.05.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 02 बिन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01 व 02-उक्त मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या 1358 एवं पत्र संख्या 1359 दिनांक 31. मई, 2022 की प्रमाणित छायाप्रति कुल (पृष्ठ-02) निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहम जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

02770  
24/05/2022

श्री जोगी STO

11/5/22  
5/5/22

(पंजीकृत)

सेवा में,  
लोक सूचना अधिकारी  
निदेशक डाटा सेंटर  
23-A लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन संसोधन विषयक सूचना चाहने के संबंध में

महोदय,

कृपया उप शिक्षा अधिकारी आहरण वितरण अधिकारी, विकास खण्ड द्वारिखाल पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक 131/ पुन. 2020-21 दिनांक 15-06-2020 एवं पत्र संख्या 977/ पेशन पुन./ 2020-2021 दिनांक/ 5-3-21 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आपको संबोधित एवं प्रतिलिपी मुझे भी पृष्ठांकित है के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत उक्त संदर्भित दोनों पत्रों पर की गई कार्यवाही की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संबंधित पत्रों की छायाप्रति आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर पेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

- 1) उप शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) द्वारिखाल पौड़ी गढ़वाल के दो पत्र
- 2) पोस्टल आडर संख्या - 56F427711, 56F227712

श्री जोगी STO  
श्री जोगी AAO  
को (सम्बन्धित कार्यवाही की) का  
कष्ट करें  
24/5/22 P.I.O.

भवदीय



(जगमोहन सिंह नेगी)

ग्राम- शिवनगर देवी रोड  
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड  
पिन-246149

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1966 / 16/24.05.2022/नि0को0/आर0टी0आई0/2022

दिनांक: 20 जून, 2022

श्री जगमोहन सिंह नेगी,  
ग्राम शिबूनगर देवी रोड,  
कोटद्वार, पौडी गढवाल,  
उत्तराखण्ड।

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक रहित का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 24.05.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा पत्र संख्या पत्र संख्या 131 एवं 977 दिनांक 05.03.2021 पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01- वांछित सूचना के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या 2598 दिनांक 11.09.2020 एवं डेटा सेन्टर के मेल दिनांक 17 जून, 2022 की प्रमाणित छायाप्रति निशुल्क संलग्न है। (कुल पृष्ठ -02)

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135/2226828

02801  
26/05/2022

पंजीकृत

अ. जा. 2/210  
3

सेवा में,

अपर निदेशक,  
कोषागार पेन्शन एवं हकदारी उत्तराखण्ड,  
23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

विषय – पेन्शन (स्वीकृति आदेश दि० 30.12.2020) से रिकवरी धनराशि के वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपकोषाधिकारी / लोकसूचनाधिकारी कोषागार लक्ष्मी रोड देहरादून के पत्र सं० – 696/13/22.04.2022/नि० को/आर०टी०आई० दि० 04.05.2022 के क्रम में सूचित करना है कि

1. प्रार्थी को प्रेषित पत्र में तीन पृष्ठ पेन्शन प्रपत्र तथा तीन पृष्ठ रिकवरी चार्ट एवं दो पृष्ठ शासनादेश सं० 560/दस-45 (एम०) 99 दि० 02.12.2000 प्राप्त हुआ है।
2. इसमें कही भी किसी भी अधिकारी का कोई भी आदेश संलग्न नहीं है जिसमें प्रोन्नति वेतन मान पर दी गई वेतन वृद्धि वापस लेने का आदेश हो।
3. ना ही उपरोक्त शासनादेश में कोई ऐसा उल्लेख है, अपितु शासनादेश के प्रकाशित (हाईलाइट) पैरा प्रार्थी के प्रोन्नति वेतन मान पर दिये गये वेतन वृद्धि को उचित दर्शाते हैं।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी के पेन्शन से जो धनराशि वसूल की गयी है उसकी वापसी का आदेश निर्गत करेंगे।

अथवा

सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी से वसूल की गई धनराशि के वास्तविक कारण से अवगत करवाने का कष्ट करेंगे। इस हेतु रु० 10/- का ई०स्टाम्प साथ में संलग्न है।

दिनांक - 17-5-22

संलग्नक

1. शासनादेश 560 दि० 02.12.2000
2. रु० 10/- ई०स्टाम्प/ पोस्टल ऑर्डर  
नं० 56F 413250  
RTPO देहरादून

प्रार्थी

रमेश दत्त डोभाल  
पूर्व प्रधानाचार्य  
राजकीय इंटर कॉलेज  
मालुडधार (प्रतापनगर)  
टिहरी गढ़वाल

श्री. जे. आ. आ.  
कोषागार लक्ष्मी रोड देहरादून  
कोषागार लक्ष्मी रोड देहरादून  
27-5-22

संलग्नक 10  
अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

पंजीकृत

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1967 / 17 / 26.05.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक 20 जून, 2022

श्री रमेश दत्त डोगाल,  
डोगाल भवन, गिरधर विहार,  
हरावाला, देहरादून।

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 17.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 26.05.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा स्वयं के पेंशन रिकवरी से संबंधित आदेश की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

वांछित सूचना के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त रिकवरी से सम्बन्धित आनलाईन प्रपत्र की प्रति (पृष्ठ 03), विभाग से प्राप्त रिकवरी चार्ट की प्रति (पृष्ठ-03) एवं निदेशालय के पत्र संख्या 2521 दिनांक 09.09.2020 (पृष्ठ- 01) की प्रमाणित प्रतियां निशुल्क संलग्न है। (कुल -07 पृष्ठ)

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

028/0  
26/05/2022

श्री जेसी STO

निदेशक

सेवा में,

निदेशक  
कोषागार एवं पेडान एवं हकदारी  
उत्तरखण्ड 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला  
देहरादून

विषय- सूचना अधिकांश अधिनियम 2005 के  
अन्तर्गत विन्दुवार सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

- ① अन्तिम बार जारी की गयी लेखाकार (लेखासवर्ग) की परिष्कृत सूची की प्रमाणित प्रति,
- ② अन्तिम बार लेखाकार (लेखासवर्ग) के सहायक कोषाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु D.P.C. बनें जाने हेतु शासन/सचिवालय को प्रेषित पत्र की प्रमाणित धारा प्रति उपलब्ध कराने का कठक करे,
- ③ D.P.C. (पदोन्नति कमेटी) में बैठने/सम्मिलित कर्मचारी/अधिकारियों के नाम एवं D.P.C. की तिथि/दिनांक से अवगत कराये जाने का कठक करे,
- ④ D.P.C. (पदोन्नति कमेटी) द्वारा सहायक कोषाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु बनाये गये यह अवकाश रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये जाने की कृपा करे,

प्रशिक्षण आठ  
समयान्त प्रकाश  
प्रकाश भावने कडि  
प्रमाणित  
P.O.  
25/5/22

D.P.C. में उपर्युक्त D.P.C. (पदोन्नति कमेटी) द्वारा सहायक कोषाधिकारी के पद पर अयोग्य घोषित कर्मचारियों के नाम उपलब्ध कराने का कठक करे,

दिनांक 17-5-2022  
निर्धारित आवश्यक शुल्क  
सलमन पीस्टल आर्डर

- ① 592745
- ② 592746
- ③ 592744

प्राप्ति  
किरण कुमार सह  
पता: लेखाकार  
कोषागार, उद्यमसिंहनगर  
रूपपुर



संलग्नक 10  
अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

पंजीकृत

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2061 / 18 / 26.05.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक: 23 जून, 2022

श्री किरण कुमार साह,  
लेखाकार, कोषागार,  
उधमसिंहनगर।

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 17.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 26.05.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 05 बिन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

अतः पटल द्वारा प्राप्त सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01- के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है जिसकी प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-3) निशुल्क संलग्न है।

बिन्दु 02 व 03- के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है जिसकी प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-4) निशुल्क संलग्न है।

बिन्दु 04 व 05- सूचना संलग्न है जिसकी प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-4) निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

02980  
31/05/2022

श्री जोशी STO

सूचना हेतु अनुरोध

प्रेषक

परशुराम भट्ट  
ग्राम जाखणी पो.ओ. कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल ।

सेवा में

अपर निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी निदेशालय उतराखंड  
23-लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून ।

श्री जोशी  
27/22

विषय-सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध

महोदय ,

निवेदन इस प्रकार है कि, निम्नांकित 04 सूचनाएँ, सूचना के अधिकार के अंतर्गत अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने की कृपा करें , इस हेतु दस रुपये का पोस्टल ऑर्डर अनुरोध पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है . लोक सूचनाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त

- 01-शासनादेश संख्या -वे.आ. -2/10 -2001 -53-2001 दिनांक 08 अगस्त 2001 की लोक सूचनाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त प्रमाणित शासनादेश की प्रति ।  
02-वित्तीय नियम संग्रह खंड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-22 के नीचे अंकित, संपरीक्षा-अनुदेश-4 सहित मूलनियम की लोक सूचनाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त प्रमाणित प्रति ।  
03-पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के मूल नियम 22-बी के अंतिम संशोधन का वर्ष ।  
04-पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के मूल नियम 22-बी पदोन्नति के अतिरिक्त जिस जिस प्रकार के दूसरे वेतन निर्धारणों पर लागू किया जा सकता हो उसके बारे में स्पष्ट सूचना ।

दिनांक 23-05-2022

संलग्न- पोस्टल ऑर्डर 46F 358071

[Prbhatt94@gmail.com](mailto:Prbhatt94@gmail.com), मो. 7579022065

भवदीय/अनुरोधकर्ता



परशुराम भट्ट।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य

राजकीय इंटरकालेज हिंसरियाखाल

वर्तमाननिवास, जाखणी पो.कीर्तिनगर-249161

श्री जोशी AAO  
कोषागार निदेशालय  
अपर निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी  
A.O.  
31/5/22

संलग्नक 10

कार्यालय का नाम व पता: अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।  
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट)  
23, लक्ष्मी रोड, झालनवाला, देहरादून।

संख्या: 3794 / 20 / 31.05.2022 / नि0को0 / आर0टी0आई0 / 2022

दिनांक: 08 सितम्बर, 2022

श्री परशुराम भट्ट, से0नि0  
हाल निवास-जाखणी कीर्तिनगर,  
टिहरी- 249161

विभागीय अपील पत्र संख्या 3614/04/21.07.2021/नि0को0/सू0अ0/विभागीय अपील /2022 दिनांक 01 सितम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसकी प्रति आपको भी सम्बोधित है, मैं विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को " सूचना जिस रूप में निदेशालय में उपलब्ध हो हस्ताक्षरित कर अपीलकर्ता को पुनः सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये हैं।

अतः उक्त के क्रम में पटल द्वारा प्राप्त शासनादेश व वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड II (भाग 2 से 4) की प्रमाणित छायाप्रतियां (पृष्ठ-06) निशुक्ल संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

o/c

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135/2226807

संख्या व दिनांक उपरोक्त  
प्रतिलिपि, अपर निदेशक/विभागीय अपीलीय अधिकारी।

o/c

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135/2226807

To,

Public Information Officer  
 Directorate of Treasuries, Pension and Entitlements  
 Government of Uttarakhand, Dehradun

12985  
 31/05/2023

*[Handwritten signature]*

Subject: Seeking information for 'SGHS Option' for state pensioner u/s 6(1) RTI Act, 2005.

Dear Sir,

The information is being sought in respect of following pensioner:-

Name: Mr. Hem Chandra Pandey  
 Department: Forest Department, Nainital  
 Treasury: Koshiyan Kutoli, District Nainital  
 GRD No: C01S25776

### BACKGROUND

For SGHS (State Government Health Scheme) facilities, the pensioner had earlier opted 'NO' in option form due to ignorance of benefits. However, now the pensioner wants to opt 'YES' to avail the SGHS facilities. Therefore, option form was filled again with 'YES' and sent to Koshiyan Kutoli treasury, Nainital. However, Koshiyan Kutoli treasury has shown inability to update it again to 'YES'.

In this regard, when contacted from email id *npthejourn@gmail.com*, we received following reply from *treas-fdc-uk@nic.in*, Help Desk, Financial Data Center Dehradun on two separate Emails:-

Reply No 1. "Please check there is no provision to correction in this matter in court order." (Screenshot of email is attached as page 4)

Reply No 2. "At present we have no option to change status of Opt in form in GO so please consult with SHA for more information " (Screenshot of email is attached as page 5)

Keeping above case in view and replies given by Help Desk, FDC, Dehradun, you are requested to kindly provide information being sought in attached questionnaire. (Kindly find attached copy of questionnaire in page no 2 and page no 3)

Photo Copy of Adhaar Card No 2696 1099 3305, of RTI Applicant Nitin Pandey S/O Hem Chandra Pandey (Pensioner), for verification is attached as page no 6.

If the asked information is not available in your office, kindly forward my application to the concerned public authority, as per 6(3) of RTI Act 2005.

Kindly find attached Postal order no: 54F 785172

QUESTIONNAIRE FOR SEEKING INFORMATION U/S 6(1) RTI ACT, 2005

- 1 Question. Refer Help Desk FDC Email Reply 1 mentioned above. In this email reply, which court order Help Desk, FDC is referring to? Kindly share copy of the Court Order with appropriate reference as cited in the email.
- 2 Question. Did court order specify on the ruling whether pensioners can re-opt for SGHS scheme once applied NO in option form?
- 3 Question. If, Yes, share copy of the Court Order of the same which mentions that pensioners cannot re-opt for SGHS Scheme once opted NO in Option Form.
- 4 Question. If, No, then on what basis/order/ruling pensioners are being denied option to change their choice to opt for SGHS scheme second time?
- 5 Question. Refer Help Desk FDC Email Reply No 2 mentioned above. Are the pensioners not able to opt for change of option because your computer system/software is not able to provide that option? If, that is not the case, then kindly explain Email Reply No 2 of Help Desk?
- 6 Question. Is your Office responsible for creating an option in computer/software system to change status for SGHS to Opt In/Out?
- 7 Question. If, yes, then, is your office creating or has created the same option now?
- 8 Question. If, No, then, who is responsible for creating the option to facilitate change of choice (second time) for SGHS scheme?
- 9 Question. Are the responsible authorities been contacted by your office for creating an option to facilitate the change of option (second time) for SGHS scheme? Kindly share copy of correspondence.
- 10 Question. Refer Help Desk FDC Email Reply No 2 above. In its reply, Help Desk asked to contact State Health Department for more information. How SHA is involved in the process of pensioners Opting for SGHS or not opting for SGHS scheme?

**11 Question.** Has your office contacted SHA for resolving the issue? If yes, kindly share the copy of correspondence.

**12 Question.** If NO, then why your office did not contact State Health Department to resolving the issue?

**13 Question.** How many such applications your department has received so far where pensioners applied second time to change of the option for SGHS? Kindly share details of total cases (in numbers only).

**14 Question.** How can a pensioner who opted 'NO' in option form for SGHS scheme, can change it to 'Yes' now? Kindly explain the procedure.

**15 Question.** If, pensioner is not allowed to change the option for SGHS second time, kindly explain why? Also share relevant supporting documents for your reason/argument.

Name of Applicant

Major Nitin Pandey  
S/O Hem Chandra Pandey (Pensioner)  
H/NO 306, Ananda Apartments  
Ranibaag, Kathgodam, Haldwani  
Distt: Nainital, Pin: 263126  
Mobile: 9756541225/9627461650  
Email: NP THE JOURNO@GMAIL.COM

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1456 /21/31.05.2022/नि0को0/आर.टी.आई./2022 दिनांक: 04 जून, 2022

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (लोक सूचना अधिकारी)  
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड,  
A1 आईटी0पार्क, सहरत्रघारा रोड़,  
देहरादून।

कृपया मेजर नितिन पाण्डेय, C/o हेम चन्द्र पाण्डेय, पेंशनर H/No. 306 आनन्दा अपार्टमेंट, रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक रहित जो कि इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 31.05.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक रहित संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रू0 10 पोस्टल आर्डर संख्या 54F 785172 इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी एवं हकदारी  
उप कोषाधिकारी, देहरादून  
0135 / 2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि मेजर नितिन पाण्डेय, C/o हेम चन्द्र पाण्डेय, पेंशनर H/No. 306 आनन्दा अपार्टमेंट, रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल को निदेशालय के पत्र संख्या 1371 दिनांक 01 जून, 2022 जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को सम्बोधित है की प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित।

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी /  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828  
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी  
23, लक्ष्मी रोड, देहरादून

सूचना का आवेदन-प्रपत्र  
(अधिनियम द्वारा-6(1) सू.अ. अधिनियम-2005)

श्री. जोगी

प्रेषिणी  
कौशल निदेशक/जन सूचना अधिकारी  
कोषागार पेंशन एवं हकदारी  
२३, लक्ष्मी रोड, डालनकाला (दे.एन) उत्तराखण्ड

दिनांक  
३१/३/२२

महोदय,  
कृपया निम्नवत बिन्दुओं पर सत्यापित सूचना प्रकट  
करना सुनिश्चित करें।

03180  
3/06/2022

1. राज्य स्थित कितने कोषागारों/उपकोषागारों में, कतिपय  
पेंशन/रियर भुगतान संबंधी, कदाचार/गबन प्रकरणों  
के मामले वर्तमान में प्रा. न्यायालय के समक्ष गतिमान  
हैं.

A. भ्रष्ट भुगतानों के क्रम में, चिन्हित कोषागारों/उप-  
कोषागारों के कार्मिकों द्वारा, की गयी कूटरेचना  
का प्रकार,

B. गबन की गयी धनराशी का विवरण

C. वसूल की गयी धनराशी का विवरण

श्री. जोगी जी AAO 2.  
कृपया निदेशक कोषागार पेंशन  
प्रदान करने का नोट करें  
31/3/22

IFMS सॉफ्टवेयर की उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह  
लगाने वाले त्रुटिपूर्ण अटक्यों का तकनीकी  
विवरण, (जो जांच में पीरलक्षित हुआ?)

भ्रष्ट-भुगतानों में संलिप्त कोषागार-कार्मिकों का,  
एवं कूटरेचित बैंक खातों का विवरण,  
(जहां धनराशी अन्तरीत की गयी)



:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1487/22/03.06.2022/नि0को0/आरटीआई./2022 दिनांक: 06 जून, 2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
समस्त कोषागार, उत्तराखण्ड।

कृपया एडवोकेट राजपाल राणा, वार्ड न0 1 ठाकुरपुर, नेपाली फार्म, पो0 सत्यनारायण मन्दिर ऋषिकेश का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 26.05.2022 जो कि इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 03.06.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक रहित संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सूचना क्रमांक संख्या 02,06 एवं 07 की सूचना निदेशालय से सम्बन्धित है। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रू0 10 पोस्टल आर्डर संख्या 51F681127 इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी  
23, लक्ष्मी रोड, देहरादून  
0135/2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि एडवोकेट राजपाल राणा, वार्ड न0 1 ठाकुरपुर नेपाली फार्म पो0 सत्यनारायण मन्दिर ऋषिकेश को सूचनार्थ प्रेषित।

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135/2226828

Recd  
07/06/2022

03184  
03/06/2022

श्री जोशी STO

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/  
कार्यालय-निदेशक (पेंशन)

निदेशालय-कोषागार, पेंशन व हकदारी उत्तराखण्ड  
23, लक्ष्मी रोड, देहरादून।

सूचना प्राप्ति हेतु  
दिनांक : 28-05-2022  
कुल संलग्नक सं.-01  
31/5/22

विषय:- लोक सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु।

महोदय,

मैं आपके स्तर से लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिन्दुओं में वर्णित विषयक सूचनायें उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूँ, जिसका निर्धारित शुल्क दस रुपये मेरे द्वारा पोस्टल आर्डर के माध्यम से अदा किया जा चुका है। जिसका नम्बर 56F-440597 है, जो संलग्नक नं. 1 द्वारा आपकी सेवा में प्रेषित है।

1. उत्तराखण्ड प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्ति माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त पेंशनधारी शिक्षकों के लिये लागू नियमावली 2018 एवं इसी के साथ उनके भुगतान योग्य अन्य लाभों को मुहैया कराने वाले प्रावधान/शर्तों की प्रकाशित संशोधित नियमावली जो वर्तमान में उपयोग/चलन में हो, उनके प्रमुख बिन्दुओं जिनका प्रयोग आपके कार्यालय स्तर से किया जाना जरूरी हो, की छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

अनुरोधकर्ता

राजेन्द्र प्रसाद  
28-5-2022

श्री जोशी AAO  
पेंशन व हकदारी प्रशासनिक कार्यालय

राजेन्द्र प्रसाद (वालियान)  
'अंजनि सदन' 41, सर्वाप्रिय विहार  
कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)  
मो0 : 9897306647

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1940 / 23 / 03.06.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक: 18 जून, 2022

श्री राजेन्द्र प्रसाद, (बालियान)  
अंजनि सदन 41, सर्वप्रिय विहार,  
कनखल, जिला हरिद्वार  
उत्तराखण्ड मो० 9897308647

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 28.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 03.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 01 बिन्दु में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01- वांछित सूचना के सम्बन्ध में "उत्तराखण्ड सेवा निवृत्त लाभ से सम्बन्धित विधेयक 2018 दिनांक 13 अप्रैल, 2018" की सत्यापित छायाप्रति (पृष्ठ-10) एवं संशोधन 17 अक्टूबर, 2018 की प्रमाणित छाया प्रतियां (पृष्ठ-04) निशुल्क संलग्न है। (कुल 14 पृष्ठ)

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी /  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

ok

श्री जोशी STD

स्पीड पोस्ट

दिनांक 03.06.2022

प्रेषक,  
श्रीमती गीता जोशी,  
25सी0 पन्ना लाल रोड, दरभंगा कालोनी  
प्रयागराज। 211002  
सेवा में,  
लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय, निदेशक, कोषागार, पेशन एव हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23 लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून  
महोदय,

आवेदिका को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अनुसार निम्नानुसार सूचनाएं एव अभिलेख की प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. सचिव, वित्त अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा निदेशक, कोषागार, पेशन एव हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून को प्रेषित पत्र संख्या-381/XXV11(6)-एक-1290/2017/2021 दिनांक 31 अगस्त 2021 (फोटो प्रति संलग्न) के अनुपालन में कार्यालय, निदेशक, कोषागार, पेशन एव हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित पत्रावली में अद्यतन की गयी लिखा पडी से सम्बन्धित सभी अभिलेखों जिसमें उत्तराखण्ड शासन के अन्य विभाग से लिये गये परामर्श एव पारित आदेश भी शामिल हो, की प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।

2. सचिव, वित्त अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के उपरोक्त पत्र संख्या- 381/XXV11(6)-एक-1290/2017/2021 दिनांक 31 अगस्त 2021 के प्रस्तर -2 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निदेशक, कोषागार, पेशन एव हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 11527 वर्ष 2014 पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मशी वाईट वाशर एव अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एव आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के सम्बन्ध में शासन से आपेक्षित मार्गदर्शन के बिन्दु का सुस्पष्ट उल्लेख करते हुये अपने मन्तव्य सहित शासन को प्रेषित प्रस्ताव की प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।

3. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 11527/2014 (स्टेट आफ पंजाब बनाम रफीक मशीश (वाईट वाशर) एव अन्य) (2015) 4 SCC 314 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2014 जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्ति के उपरान्त शासकीय कर्मचारियों को देय पेशन एवं ग्रेच्युटी से की जाने वाली वसूली हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये गये हैं :-

**"It is not possible to postulate all situations of hardship which would govern employees on the issue of recovery, where payments have been mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to hereinabove, we may, as a ready reference, summaries the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:**

- 1- Recovery from the employees belonging to class 111 and class 1V service (or Group C and Group D service).
- 2- Recovery from retired employees, or the employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

अर्थ

श्रीमती जी/श्री गुप्ता जी प्रमाण  
को सम्बन्धित मार्गदर्शक कृपया का कष्ट करें

03702  
3/6/2022

1-11-2022

- 3- Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.
- 4- Recovery in cases where an employee has wrongly been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he could have rightfully been required to work against an inferior post.
- 5- In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employers 's right to recover"

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 11527/2014 ( स्टेट आफ पंजाब बनाम रफीक मशीश एव अन्य ) में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2014 द्वारा निर्गत उपरोक्त दिशा निर्देशों को निदेशक महोदय के संज्ञान में लाये जाने के पश्चात निदेशक, कोषागार, पेशन एव हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषागार/कोषाधिकारियों को निर्गत आदेश की प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।

4. पोस्टल आर्डर संख्या संख्या-56 F 161982 दिनांक 23.06.2022 रू10.00 आवेदन शुल्क के रूप में संग्रह है, चुकि मागी गयी सूचना एव अभिलेख की प्रकृति सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के प्राविधानों से आच्छादित है अतः अनुरोध प्राप्त के निर्धारित समयान्तर्गत वाछित सूचनाएं एव अभिलेख की प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आवेदिका,



( श्रीमती गीता जोशी )

मो०-9415366917

Email--Yogeshjoshi644@gmail.com

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2425 / 24 / 13.06.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक: 06 जुलाई, 2022

श्रीमती गीता जोशी,  
25 सी० पन्ना लाल रोड,  
दरभंगा कालोनी, प्रयागराज,  
पिन कोड- 211002

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 03.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 13.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 03 बिन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01 व 02- उक्त दोनो बिन्दुओं के सम्बन्ध में इस निदेशालय के पत्र संख्या 2232/सामान्य पत्राचार/नि०को०पें०ह०/2021 दिनांक 29 जून 2022 जो अपर सचिव वित्त अनुभाग-6 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सम्बोधित है, की प्रमाणित छायाप्रति (पृष्ठ-02) निशुल्क संलग्न है।

बिन्दु 03- के सम्बन्ध में सूचना धारित नहीं है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी

प्रेषक परशुराम भट्ट  
ग्राम जाखणी पो.ओ. कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल ।

सेवा में अपर निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी निदेशालय उत्तराखंड  
23-लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून ।

निदेशक  
६  
०६/२२

विषय-सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध

महोदय ,

निवेदन इस प्रकार है कि,निम्नांकित सूचनाएँ, संलग्नक-01 जो आपके कार्यालय के पत्रांक938/13-05-2022 पर आधारित है, तथा संलग्नक-02 जो, आपके कार्यालय के लोक सूचनाधिकारी के हस्ताक्षरों द्वारा दिनांक 05-01-19 की तिथि पर प्रमाणित है, के आधार पर निम्न सूचनाएँ अनुरोध कर्ता को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें ।, इस हेतु दस रुपये का पोस्टल ऑर्डर अनुरोध पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है .

**संलग्न-01 से सम्बंधित आबेदित सूचनाएँ-**

- 01-(क) वित्तीय नियम संग्रह खंड -2, भाग -2 से 4 के मूल नियम-22 के नीचे अंकित संपरीक्षा अनुदेश-04 की प्रथम पंक्ति के अनुसार, कोइ वेतन क्रम हाल में आया हो के अनुसार हाल शब्द का अर्थ । .
- (ख) वित्तीय नियम संग्रह खंड -2, भाग -2 से 4 के मूल नियम-22 के नीचे अंकित संपरीक्षा अनुदेश 04 के अनुसार कोइ वेतन क्रम हाल में आया हो के अनुसार हाल की अवधि,एक माह,दो माह,तीन माह ,एक वर्ष या फिर दस वर्ष के बारे में सूचना,क्योंकि नये वेतनमान दस साल में घोषित होते हैं।
- (ग) यदि वेतन, नये वेतन क्रम के मे दो स्तरों के बीच हो तो , उस वेतन क्रम के नीचे स्तर पर निर्धारित किया जा सकेगा , के अनुसार नये वेतन क्रम 7500-12000 के वेतन क्रम पर नीचे का स्तर 7750 होगा या 7500 इसके बारे में स्पष्ट सूचना ।
- (घ)-वित्तीय नियम संग्रह खंड -2, भाग -2 से 4 के मूल नियम 22 के नीचे अंकित संपरीक्षा,अनुदेश-02 एवं 04 के बारे में कभी किसी सक्षम अधिकारियों से पृच्छा की गई हो तो उसके बारे में सूचना ।
- (च)वित्तीय नियम संग्रह खंड -2, भाग -2 से 4 के मूल नियम-22 के नीचे अंकित संपरीक्षा अनुदेश-02 और 04 की सम्पूर्ण व्याख्या ।

**संलग्नक-2 से सम्बंधित आबेदित सूचनाएँ-**

- 02-(क)परिस्थितियाँ,जिनके अनुसार सरकारी सेवक को वैयक्तिक वेतन देकर वेतन निर्धारित किया जाता है ।
- (ख): पदोन्नति पर वैयक्तिक वेतन दिये जाने की परिस्थितियाँ ।
- (ग): वेतन मान संशोधन पर वैयक्तिक वेतन दिए जाने की परिस्थितियाँ .।
- (घ): वित्तीय नियम संग्रह खंड-2, भाग -2 से 4 के मूल नियम-22 के नीचे अंकित संपरीक्षा अनुदेश 04 के 05-01-19 पर विद्यमान रहते हुए भी 6500-10500 के वेतनक्रम में 7900 विना वैयक्तिक वेतन के साथ वेतन निर्धारण के बारे में सूचना ।

दिनांक 03-06-2022 ✓  
संलग्न- 01-पोस्टल ऑर्डर 51F 682085  
02-यथोपरि

भवदीय/अनुरोधकर्ता  
*(Signature)*

॥परशुराम भट्ट॥  
सेवानिवृत प्रधानाचार्य  
राजकीय इंटरकालेज हिंसरियाखाल  
वर्तमान-निवास,जाखणी पो.कीर्तिनगर-249161

03706  
13/6/22

श्री श्री AAO  
सूचना अधिकारी  
Prbhatt04@gmail.com, मो. 7579022065  
14/6/22

अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2312 /25/13.06.2022/नि0को0/आर0टी0आई0/2022

दिनांक: 02 जून, 2022

श्री परशुराम भट्ट (से0नि0)  
निवासी जाखणी,  
पो0 कीर्तिनगर,  
टिहरी गढ़वाल, 249161

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 03.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 13.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 02 बिन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

बिन्दु 01-मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा संघित अभिलेख की मांग नहीं की गई है तथा अपेक्षित सूचना प्रश्नवाचक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत "सूचना की परिभाषा" [धारा-2(घ)] के अनुसार एवं [धारा-2(एफ)] तथा [धारा 2 (आई)] अभिलेख (रिकार्ड) की परिभाषा के अन्तर्गत सूचना की मांग नहीं की गयी है, पृच्छा की गयी है। इस सम्बन्ध में "कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/7/2009-आई.आर. दिनांक 01 जून 2009 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में यथा परिभाषित शब्द सूचना में क्यों? क्या? कैसे? जैसे प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं किए जा सकते हैं। किसी कार्य के होने अथवा उसके द्वारा हुये परिणाम एवं कारण नहीं बताया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सूचना में की गयी पृच्छा/प्रश्नात्मक प्रश्नों का उत्तर दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

बिन्दु 02- के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड II (भाग 2 से 4) के नियम 22 की प्रमाणित छायाप्रतियां (पृष्ठ-08) निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों व अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

(जगत मोहन जोशी)  
लोक सूचना अधिकारी/क  
उप-निदेशक/विभागीय  
0135/2226828

h

21-06-22



सेवा में

श्रीमान् निदेशक महोदय / लोक सूचना अधिकारी / सक्षम अधिकारी  
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड  
23, लक्ष्मी रोड़, डालनबाला, देहरादून

~~निदेशक~~  
07/06/22

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 06 (02) के तहत अग्रलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

बिन्दु संख्या 01 :- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी0.आर0.एस0.) लेने के लिए 20 साल पूर्ण होने पर आवेदन करना होता है अथवा 20 साल पूर्ण होने से तीन माह पूर्व आवेदन करना होता है।

बिन्दु संख्या 02 :- चतुर्थ श्रेणी (मृतक आश्रित) के पद पर 20 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले की गयी सरकारी सेवा (18 वर्ष की आयु से 20 वर्ष की आयु तक) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी0.आर0.एस0.) लेते समय सेवा में पेंशन हेतु गिनी जायेगी अथवा नहीं।

बिन्दु संख्या 03 :- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी0.आर0.एस0.) लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

बिन्दु संख्या 04 :- 20 वर्ष की सेवा के उपरान्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी0.आर0.एस0.) लेने वाले किसी एक कर्मचारी के आवेदन पत्र एवं लगने वाले सम्पूर्ण दस्तावेजों की सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

बिन्दु संख्या 05 :- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी0.आर0.एस0.) का शासनादेश जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हो की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

बिन्दु संख्या 06 :- यदि बिन्दु संख्या 01 से बिन्दु संख्या 05 तक मांगी गई सूचना किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबंधित हो तो उनको मेरा प्रार्थना पत्र भेजकर मुझे सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें, तथा साथ ही साथ मेरी सूचना किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी के पास हस्तान्तरित करने की सूचना मुझ प्रार्थी को भी उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

बिन्दु संख्या 07 :- आप अपने प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाईल या दूरभाष संख्या एवं पता उपलब्ध करवाने की कृपा करें, साथ ही साथ कितने दिनों के अन्दर प्रथम विभागीय अपील करनी होगी इसकी सूचना भी उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

संलग्न :- भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 56F 329677 दस रुपये मात्र का।

दिनांक :- 03/06/2022

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर :- प्रदीप अग्रवाल

आवेदनकर्ता का नाम :- प्रदीप कुमार अग्रवाल

आवेदनकर्ता के पिता का नाम :- श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल

आवेदनकर्ता का पूरा पता :- प्रदीप कुमार अग्रवाल केयर ऑफ

संदीप कश्यप (चाय विक्रेता) निकट सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्र के मुख्य द्वार, लक्सर तहसील रोड़ लक्सर, हरिद्वार,

(उत्तराखण्ड) पिन :- 247663

मोबाईल नम्बर :- 8077755055

श्री नेजी AAB

सूचना उपलब्ध करवाने का कष्ट

07/06/22

03707  
13/6/22

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2310 / 26 / 13.06.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक: 02 जून, 2022

श्री प्रदीप अग्रवाल,  
C/o संदीप कश्यप निकट सामुदायिक  
स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य द्वार लक्सर,  
तहसील रोड, हरिद्वार  
पिन कोड- 247663

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 08.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 14.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 05 दिन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

दिन्दु 01 एवं 05 - के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1844 दिनांक 09 अप्रैल, 2003 की प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-2) निशुल्क संलग्न है।

दिन्दु 02- के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है जिसकी प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-1) निशुल्क संलग्न है।

दिन्दु 03 एवं 04- के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 91 दिनांक 17.04.2015 की प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-07) निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-  
अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी /  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत अधीन ॥ स्मृति पत्र - 06-06-22

सेवार्थ अतिरिक्त अधिकारी महोदय,  
बीमान अपर निदेशक महोदय, पेंशन एवं हकदारी उपखण्ड  
23 लक्ष्मी रोड, डालन बावला देहरादून पिन - 248601

महोदय,  
सूचना के अधिकार के अन्तर्गत निम्न सूचना देने की कृपा  
की जाय। प्रथम अधीन की सूचना नामिलने पर स्मृतिपत्र।

महोदय,  
मैने दि 16-02-22 को, आपको निदेशानुसंग पत्र सं 6319  
दि 18-जनवरी 22 को अनुसार क्रम सं 1 से 12 पर न्याय की सुनवाई  
आवेदन की थी। आपने खलना पत्रों पर जो कार्यवाही  
या आदेश पारित किया है, उसकी सूचना देने की कृपा  
की गिरेगा।

दि 06-06-22  
Mob. 9456720550

प्रार्थी - (प्रकाशचन्द्र शर्मा वि० नि० 56F427982)  
नाम - दिंडला योगेंद्रपाल  
पैड़ी बड़वाल डालन पिन 246144

- संलग्नक :- ① 16-02-22 को प्रेषित पत्र की छाया प्रति  
② 10 से 12 को पोस्टल ऑर्डर No 56F427982  
③ अपना पता लिखा लिफाफा रजिस्ट्री ऑफिस के साथ  
₹ 22/-

प्रकाशचन्द्र शर्मा दि 6-06-22  
Mob. 9456720550

04003  
14/6/22

श्री ओ सी/STO

श्री श्रीमान श्री श्री  
दि 13/06/22  
पत्र 3

प्रेषक,

लोक सूचना अधिकारी,  
निदेशालय, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड  
23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला,  
देहरादून।

सेवा में,

श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा,  
ग्राम दिउला, पो० पौखाल,  
पौड़ी गढवाल,  
पिन-246149

विषय:- सूचना पुनः प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके विभागीय अपीलिय पत्र दिनांक 06.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 14.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा सूचना प्राप्त न होना अवगत कराया गया है।

अवगत कराना है कि आपके अनुरोध-पत्र दिनांक 15.12.2021 जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में 22.12.2021 में अंकित है, के क्रम में सूचना के प्रतिउत्तर में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र संख्या पत्र संख्या 6375/109/22.12.2021/नि०को०/आर०टी०आई०/2022 दि० 18 जनवरी, 2022 द्वारा पूर्व में ही सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

अतः पुनः आपके पत्र के क्रम में सुलभ संदर्भ हेतु सूचना आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी एवं हकदारी  
निदेशालय, कोषागार पेंशन एवं हकदारी  
23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून  
0189/2226828

७८

श्री जोशी STO

दिनांक 08/06/2022

सेवा में,

निदेशक,  
कोषागार पेंशन एवं हकदारी,  
उत्तराखण्ड।

निदेशक

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

बिन्दु सं० 1:- कोषागार उत्तराखण्ड में सहा० लेखाकार एवं लेखाकारों के संवर्गों की संख्या एवं नियामावली/शासनादेश उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

बिन्दु सं० 2:- कोषागार सहायक लेखाकार का उच्चतम पदोन्नति/अन्तिम पदोन्नति के पद की सूचना एवं नियामावली उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

बिन्दु सं० 3:- जनवरी सन् 1985 से उत्तराखण्ड राज्य गठन की तिथि दिनांक 09.11.2000 तक राजकीय विभागों के लेखासंवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति/सविलयन कोषागार विभाग में की गयी, उनकी संख्या एवं पदोन्नत/सविलयन से पूर्व एवं पश्चात के पदनाम की सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

बिन्दु सं० 4:- उत्तराखण्ड राज्य गठन की तिथि दिनांक 09.11.2000 से अब तक राजकीय विभागों के लेखासंवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति/सविलयन कोषागार विभाग में की गयी, उनकी संख्या एवं पदोन्नत/सविलयन से पूर्व एवं पश्चात के पदनाम की सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

बिन्दु सं० 5:- कोषागार सहायक लेखाकार एवं लेखाकार से सम्बन्धित वर्तमान प्रचलित नियामावली उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर सूचना प्रार्थी को निम्न पते पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्त बिन्दु सं० 1 से 5 तक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु रु 50.00 के पोस्टल ऑर्डर  
H.M.N.,

श्री जोशी STO  
सूचना उपलब्ध कराने सम्बन्ध  
08/06/22

प्रार्थी,

Jayendra  
08/06/2022

जयेन्द्र सिंह

नीलम आर्कैड, शिमला बाईपास रोड,  
नियर- प्रकाशलोक कॉलोनी,  
परफेक्ट वेल्यू देहरादून।

248001

मो०न० 9870768828

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1939 / 28 / 14.06.2022 / नि0को0 / आर.टी.आई. / 2022 दिनांक: 18 जून, 2022

सेवा में,

1- लोक सूचना अधिकारी,  
निदेशालय कोषागार,  
1018, जवाहर भवन,  
लखनऊ, उ0प्र0।

2- लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
समस्त कोषागार,  
उत्तराखण्ड।

कृपया श्री जयेन्द्र सिंह नीलम आर्केड, शिमला बाईपास रोड, नियर-प्रकाशलोक कॉलोनी परफेक्ट वेल्थू स्टोर देहरादून का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 08.06.2022 जो कि इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 14.06.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी बिन्दु -03 की सूचना लोक सूचना अधिकारी, निदेशालय कोषागार, 1018, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0 से एवं बिन्दु - 01, 02, 04 व 05 की सूचना लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त कोषागार, उत्तराखण्ड से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 08.06.2022 संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रु0 50 पोस्टल आर्डर संख्या 98G767514 इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी  
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी  
उप कोषाधिकारी  
23, लक्ष्मी रोड, देहरादून  
0135 / 2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री जयेन्द्र सिंह नीलम आर्केड, शिमला बाईपास रोड, नियर-प्रकाशलोक कॉलोनी परफेक्ट वेल्थू स्टोर देहरादून 248001 को सूचनार्थ प्रेषित। साथ ही अग्रगत कराना है कि निदेशालय की विभागीय वेबसाईट [ekosh.uk.gov.in](http://ekosh.uk.gov.in) पर Rules के अन्तर्गत कोषागार नियमावलियां जन सेवार्थ (Public domain) में अभिचक्षित है। जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

मिले  
13/6/22

श्री जोशी STO

निदेशक  
3/10/22

सेवामें,

लोक सूचना अधिकारी,  
पेंशन निदेशालय,  
लेखा एवं हकदारी अनुभाग-2  
23 लक्ष्मी रोड डालनवाला,  
देहरादून।

039/2  
14/6/2022

विषय:-  
महोदय,

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना मागने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक पर अवगत कराना है कि मुझे निम्न बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करे। अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति हेतु रू० 90/- एव सूचना अधिकार हेतु शुल्क के रूपमें 10/- मात्र कुल धनराशि रू० 100/- मात्र की (पोस्टल आर्डर) राशि सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है।

56 थं,  
56 थं,

- 1- उत्तराखण्ड राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 56 K नियम लागू है अथवा नहीं, यदि हाँ तो उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
- 2- 50 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारी/कर्मचारी के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने हेतु अनिवार्य सेवा कितने वर्ष की होनी चाहिए।
- 3- उत्तराखण्ड राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु नियम उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
- 4- 20 वर्ष की राजकीय सेवा से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने हेतु नवीनतम नियम है अथवा नहीं यदि हाँ तो उसकी भी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

सलंग्नक:- उपरोक्तानुसार।

①	-पोस्टल आर्डर नं० -	37F 941881	-रू 10-
②	"	91F 248809	-रू 20-
③	"	91F 248810	-रू 20-
④	"	81G 797883	-रू 50-
			<u>रू 100-</u>

प्रार्थी

Sudhakar  
08/10/22

(सुधीर कुमार)  
निवासी 128/2 गली  
नं०-3 छोटी  
रामनगर रुडकी,  
जिला-हरिद्वार 247867

MO MO - 9412920332

सूचना उपलब्ध करने पर उचित कर्तव्य कृपा करें।

Sudhakar

श्री तेजी आठ  
सूचना प्रदान करने का कष्ट करे  
14/6/22

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2311 /29/14.06.2022/नि0को0/आर0टी0आई0/2022

दिनांक: 02 जून, 2022

श्री सुधीर कुमार,  
निवासी 128/2,  
गली नं0-3 छोटी रागनगर,  
रूडकी, जिला-हरिद्वार  
247667

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 08.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 14.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 04 बिन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

अतः पटल द्वारा प्राप्त सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01, 02 व 04- के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1844 दिनांक 09 अप्रैल, 2003 की प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-2) संलग्न है।

बिन्दु 03- के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है जिसकी प्रमाणित प्रति (पृष्ठ-3) संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135/2226828



श्रीजोशी STC

सेवा अ. १  
लोकां सुचना अधिकार  
पन्शन निदेशात्मक  
२३ लक्ष्मी रोड D.D.पन

निदेश

आयरोपय मक्षयय

वृत्त्या लोकां सुचना अधिकारियम का अन्तगत  
पुत्रियत वारुव व्वा वृषा वरु।

03943  
14/6/22

विश्वे सरवारी कामेचारी वि. सुव. - वि. रा. अ. डवडीका  
कि. तारीख दिनेकां १७/१२/१९९२ स. दि. १२-२-१९९५ तक  
व्वा. सेवा सत्यापित हो, दि. १३-२-१९९५ स. दि. ५/५/१९९५  
का. आग्रयनाक्षा व्वा. हडताल के कारण इस अवधि ५२  
दिन का अवकाश अन लेव वि. रा. कारण स. काम होन  
के कारण इस अवधि व्वा. सेवा सत्यापित नहीं हो पाई.  
दि. दिनेकां ६/५/१९९५ स. दिनेकां ३०/९/१९८२ तक व्वा.  
सेवा सत्यापित है। दिनेकां १-१०-१९८२ स. दि. २-८-१९८३  
तक का. अवधि अ नोकारी स. विना वि. रा. दुहां जायल  
रहन के कारण अन लेव ना होन के कारण विना लेन  
इस अवधि का अवकाश स्वीकृत किया दि. दिनेकां  
३-८-१९८३ स. दि. ३०-८-१९८८ तक व्वा. सेवा सत्यापित  
है। इस प्रकार कन्का सेवा अवधि स. यदि वि. रा. वेतन ३०६ दिन  
का स्वीकृत अवकाश कम कर दिया जाये तब भी १० वर्ष से अधिक व्वा. सेवा  
बनति है, वृत्त्या सुचित करे व्वा. वृत्त्यान आसनादेस के तहत  
कामेचारी १० वर्ष व्वा. इस परीस्थिति व्वा.  
पाप कर सकता है १० वर्ष व्वा. अवधि पूर्ण होत्र पर पन्शन  
ता. वृत्त्या प्रमपकेत आसनादेस कि. प्रति दिलवाने व्वा.  
वृत्त्या कर, ताकि तनुसर वायिवादि करना सम्भव हो सका।  
वृत्त्या सेवा सुचना शिष्य देन वि. वृत्त्या कर

संकेतः- पोस्टल आर्डर रु. १००/-

संख्या ५७५-१०२५३४ दि.  
१-६-२०२२

दि. १-६-२०२२

श्रीमती आ. ०  
श्रीमती अ. ०

श्रीमती अ. ०  
(श्रीमती सिंह बिबर)  
श्रीमती अ. ०  
देहरादून

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2225 / 30 / 14.06.2022 / नि०को० / आर०टी०आई० / 2022

दिनांक: 28 जून, 2022

श्री शूरवीर सिंह बिष्ट,  
12 फालतू लाईन,  
देहरादून।

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 09.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 14.06.2022 को प्राप्त/अंकित है।

मांगी गयी सूचना प्रश्नवाचक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत "सूचना की परिभाषा" [धारा-2(च)] के अनुसार एवं [धारा-2(एफ)] तथा [धारा 2 (आई)] अभिलेख (रिकार्ड) की परिभाषा के अन्तर्गत सूचना की मांग नहीं की गयी है, पृच्छा की गयी है। इस सम्बन्ध में "कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/7/2009-आई.आर. दिनांक 01 जून 2009 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में यथा परिभाषित शब्द सूचना में क्यों? क्या? कैसे? जैसे प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं किए जा सकते हैं। किसी कार्य के होने अथवा उसके द्वारा हुये परिणाम एवं कारण नहीं बताया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सूचना में की गयी पृच्छा/प्रश्नात्मक प्रश्नों का उत्तर दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

तथापि 10 वर्ष की सेवा से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 266 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 (पृष्ठ- 3 आगे पीछे) एवं पेंशन अर्ह सेवा से सम्बन्धित नियम (पृष्ठ-01) की प्रमाणित छायाप्रतियां निशुल्क संलग्न हैं। साथ ही आनलाईन विभागीय वेबसाईट [ekosh.uk.gov.in](http://ekosh.uk.gov.in) पर नवीन पेंशन का अधिनियम 2018 उपलब्ध है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मुहिन जोशी )

लोक सूचना अधिकारी  
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,  
23, लक्ष्मी रोड, देहरादून

0135 / 2226828

पूजा से, श्री जोशी 510

निवेदन  
3 08/22  
14/22

श्रीमान निदेशालय कोषागार महोदय,  
येशान एवं इकदारी उत्तरखण्ड  
23 भस्मी रोड डालनवाला देहरादून,  
पिन-248171

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है, कि छाथी घनासिंह रावत वन विभाग राजस्थान सरकार से सेवानिवृत्त हैं, वर्तमान में एच कोषागार इच्छानो उत्तरखण्ड से येशान प्राप्त करता है, महोदय सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत निम्नाधिरित समस्या बिन्दुओं का निवारण कर की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

04096  
15/6/22

- ① किन-किन विशेष कारणों से 3% बड़ा हुआ महंगाई मन्ता जनवरी 2022 से आज दिनांक तक नहीं मिला, 34% D.A. वर्तमान में,
- ② श्रीमान जी कार्यालय प्रधान महाधरवाकर जयपुर राजस्थान से दूरभाष (Mobile) से सम्पर्क करने पर बताया गया 3% D.A. के राज्यादेश राज्य से बाहर रह रहे सभी पान्तों के महाधरवाकर कार्यालयों को अप्रैल 2022 के अन्तिम तिथि की माह द्वारा भेज दिये गये हैं, कुल D.A. 34% वर्तमान में।
- ③ श्रीमान जी सेवानिवृत्त तिथि से आज दिनांक तक छाथी को बिना आवेदन-निवेदन करें आज दिनांक समयानुसार सुगतान नहीं मिला या रहा कृपया मार्ग दर्शन करने की कृपा करें।

क्यास ① करें। सेवा सहयोग हेतु सहाय्यवाद।  
श्री उपरोक्त सेवा श्री गोपाल कोषवाल  
N/P/S पोस्टल साइलेंस → 57F097472  
वे इति में पर्वनाम  
एच कोषागार → इच्छानो  
स्थान → इच्छानो  
पता → चैनीताल  
दिनांक → 08.06.2022

शिवदत्त शर्मा  
P.P.O. - 652638 (R)  
G.P.O. 609500843  
D.S. Rawat HN 577 Malli BARMORI  
P.O. - Bhatija Parau Teh. HALDWANI  
WARD No. 48 Sainik Colony NAINITAL (U.K.)  
B.H. → 263139  
Mobile → 8057900124

संलग्नक 10  
अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

पंजीकृत

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2287 / 31 / 15.06.2022 / नि0को0 / आर0टी0आई0 / 2022

दिनांक: 30 जून, 2022

श्री डी0एस0 रावत,  
म0नं0 577 मल्ली बमोरी,  
पो0 भोटिया पडाव,  
तहसील हल्द्वानी, वार्ड नं0 48,  
सैनिक कालोनी, पिन कोड- 263139

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 08.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 15.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा 03 बिन्दुओं में सूचना की मांग की गयी है।

अतः सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु 01 से 03-के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित शासनादेश इस निदेशालय को दिनांक 23.06.2022 को प्राप्त हुआ है एवं वर्तमान में डेटा सेन्टर द्वारा आई0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया गया है। जिसकी प्रति (पृष्ठ-01) निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी /  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

ok



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड का कार्यालय  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), UTTARAKHAND

सं:33/टी0एम0/आर0टी0आई0/2022-23/239

दिनांक: 13.06.2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी  
निदेशालय,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,  
23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला,  
देहरादून-248001

श्री सुरेश 510

17/6/22

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, की धारा 6 (3) के अन्तर्गत पत्र को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुरोधकर्ता श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा का सूचना हेतु अनुरोध-पत्र दिनांक 2.06.2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 06.06.2022 को प्राप्त हुआ है, जोकि स्टेट हेल्थ कार्ड के बनने से सम्बन्धित है। उक्त सूचनार्थे राज्य सरकार से सम्बन्धित होने के कारण उक्त पत्र आपके कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है ताकि अनुरोधकर्ता को सीधे सूचनार्थे आपके स्तर से उपलब्ध करायी जा सकें।

प्रार्थी के अनुरोध पत्र के साथ निर्धारित शुल्क ₹ 10/- का एक IPO 57F001029 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। यदि सूचना आपसे सम्बन्धित नहीं है तो पत्र को अन्य सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: अनुरोधकर्ता से प्राप्त अनुरोध-पत्र मूल रूप से।

भवदीय,

13/6/2022

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/ व0उ0एम0ले0 (प्रशासन)

सं:33/टी0एम0/आर0टी0आई0/2022-23/

दिनांक: 13.06.2022

प्रतिलिपि-श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा, स0उ0नि0उ0प्र0पु0 निवासी-मकान नं0 510 गांधीनगर रुड़की, धाना गंग नहर, रुड़की जनपद-हरिद्वार, उत्तराखण्ड पिन कोड-247667 मो0 नं0-9412935388

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/ व0उ0एम0ले0 (प्रशासन)

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 1994 / 32 / 13.06.2022 / नि०को० / आर.टी.आई. / 2022 दिनांक: 21 जून, 2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड,  
A1 आईटी०पार्क, सहस्त्रधारा रोड,  
देहरादून।

कृपया श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा निवासी म०न० 510, गांधीनगर, रूडकी जनपद हरिद्वार का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 31.05.2022 जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/व०उ०म०ले० महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 33/टी०एम०/आर०टी०आई०/2022-23 दिनांक 13.06.2022 के द्वारा सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु इस निदेशालय को हस्तान्तरित की गयी है, जो इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 18.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 31.05.2022 संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/व०उ०म०ले० महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
- 2- श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा निवासी म०न० 510, गांधीनगर, रूडकी जनपद हरिद्वार 247667

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

श्री जोशी साठ

18/6/22

सूचना प्राप्त के लिए अनुरोध धारा 6(1) सूचना अधिकार अधिनियम 2005

अनुरोध कर्ता का नाम - प्रेमचन्द गुप्ता  
पिता का नाम - श्री इलम चन्द गुप्ता  
पत्राचार का पूरा पता - आदर्श विहार, वार्ड न0 2, चौक बाजार,  
सहारनपुर रोड़, हरबर्टपुर  
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून  
उत्तराखण्ड - 248142

इच्छित सूचना का पूरा विवरण :-

प्रार्थी ने दिनांक 27.04.2022 को प्रार्थना पत्र निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड वित्त विभाग उत्तराखण्ड सरकार 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून 248001, स्पीड पोस्ट EV275858606 IN हरबर्टपुर 248142 से प्रेषित किया था। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही के सम्बंध में सूचना की आवश्यकता है।

सम्पूर्ण दस्तावेजी विवरण सम्बन्धित विभाग का नाम -

श्रीमान् निदेशक लोक सूचना अधिकारी,  
कोषागार पेंशन एवं हकदारी,  
उत्तराखण्ड वित्त विभाग उत्तराखण्ड सरकार,  
23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून 248001

1. आवेदक शुल्क जमा करने का प्रमाण पत्र 10/- रुपये का पोस्टल आर्डर 54 F418936
2. गरीबी रेखा से नीचे आय का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) लागू नहीं
3. आवेदन जमा करने के तिथि 16-06-2022
4. आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान - प्रेमचन्द गुप्ता

श्रीमती रेखा राणा  
21/6/22

श्री प्रसाद साठ  
श्री वासिष्ठ प्रसाद साठ  
विदेगा

## अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र।

कार्यालय का नाम व पता:

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2282 / 33 / 20.06.2022 / नि0को0 / आर0टी0आई0 / 2022

दिनांक 30 जून, 2022

श्री प्रेमचन्द गुप्ता,  
पुत्र श्री इलम चन्द गुप्ता,  
निवासी- आदर्श विहार, वार्ड नं0-2,  
चौक बाजार, सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर,  
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून

कृपया आपके सूचना के अनुरोध-पत्र दिनांक 16.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 20.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। जिसमें आपके द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना की मांग की गयी है।

उक्त मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या 1371/नि0को0/एफ0डी0सी0/आईएफएमएस0(1)/2020/387 दिनांक 01 जून, 2022 की छायाप्रति (पृष्ठ-02) निशुल्क संलग्न है।

3. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपील अधिकारी का पता :-

अपर निदेशक,  
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828



पंजीकृत/स्पीडपोस्ट

अनुरोधकर्ता

परशुराम भट्ट  
ग्राम जाखणी पो.ओ. कीर्तिनगर  
टिहरी गढ़वाल ।

सेवा में

लोक सूचनाधिकारी/ निदेशक कोबागार  
पेन्शन एवं हकदारी उत्तराखंड  
23 लक्ष्मी रोड डालनवाला-देहरादून ।

विषय-माध्यमिक शिक्षा से सम्बंधित शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग के अनुरूप वेतन निर्धारण का शासनादेश उपलब्ध करवाने के संबंध में सूचनानुरोध ।

महोदय

सूचनाधार 2005 के प्राविधानों के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा से सम्बंधित शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग के अनुरूप वेतन निर्धारण से सम्बंधित शासनादेश सहित आवेदित सूचना अनुरोध कर्ता को उपलब्ध कराने की कृपा करें . इस हेतु दस रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर अनुरोधपत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है .

- 01- पंचम वेतन आयोग के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा से संबन्धित वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या 750 दिनांक 23- 09-2022 की पठनीय, स्पष्ट एवं लोक सूचधिकारी के द्वारा प्रमाणित प्रति ।  
02- उपरोक्त शासनादेश के संबंध में आपके कार्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा से संबन्धित किसी कार्यालय से शासनादेश के लागू किए जाने के बारे में कोई पृच्छा अथवा जिज्ञासा प्रकट की गई हो तो उसके बारे में सूचना ।

दिनांक: 17-06-2022

संलग्न: पोस्टल ऑर्डर स.46F 358075

अनुरोध कर्ता

परशुराम भट्ट

सेवा धानिवृत प्रधानाचार्य

राजकीय इंटरकालेज हिसरियाखाल टिहरी  
हाल निवास-जाखणी कीर्तिनगर-टिहरी-249161

Prbhatt04@gmail.com मो. 7579022065

श्री. जे. आर.

उपलब्ध करवाने के संबंध में सूचनानुरोध

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता:- निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या 2200 / 28 / 14.06.2022 / नि0को0 / आर.टी.आई. / 2022 दिनांक: 27 जून, 2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय- माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,  
ननूरखेडा, तपोवन इन्क्लेव, तरला,  
कैवल बिहार, आमवाला, देहरादून  
पिन कोड- 248001

कृपया श्री पशुराम भट्ट (से0नि0) निवासी जाखणी, पो0 कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल, 249161 का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 17.06.2022 जो कि इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 23.06.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 17.06.2022 संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क रू0 10 पोस्टल आर्डर संख्या 46F358075 इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135/2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री पशुराम भट्ट (से0नि0) निवासी जाखणी, पो0 कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल, 249161 को सूचनार्थ प्रेषित।

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135/2226828

ग में,

लेखक सूचनाधिकारी,  
कोषागार एवं वित्त सेवाएं,  
23, लक्ष्मी रोड डालनवाला,  
देहरादून।

04745  
27/06/22

श्री अरवि STO

5/12/22  
25/12

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने  
विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विधानसभा  
सचिवालय के सम्बंध में निम्न विन्दुओं पर सूचना प्रमाणित कर उपलब्ध कराने का कष्ट  
करें:-

- 1- वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में विधानसभा सचिवालय हेतु आवंटित  
इम्पलाई कोड से सम्बंधित दस्तावेज की छायाप्रति प्रमाणित कर उपलब्ध  
करने का कष्ट करें।
- 2- उपरोक्त इम्पलाई कोड उपलब्ध कराये जाने हेतु विधानसभा सचिवालय द्वारा  
निगत आदेश/पत्र की छायाप्रति प्रमाणित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-पोस्टल आर्डर क्र०-104249 से 104252 तक

(कुल-40/-) दिनांक-22-6-22

भवदीय,

(गोकर्ण सिंह रावत)

अनुसचिव

क०न०-9 उत्तरी ब्लाक,

सचिवालय देहरादून।

फोन०-9327699217

लेखक सूचनाधिकारी को  
सूचना अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2224 / 36 / 27.06.2022 / नि0को0 / आर.टी.आई. / 2021 दिनांक: 28 जून, 2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी,  
कार्यालय-केंद्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रेजरी),  
23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला,  
देहरादून

कृपया श्री गोकर्ण सिंह रावत, अनुसचिव क0न0-9 उत्तरी ब्लाक, सचिवालय देहरादून का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 22.06.2022 जो इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 27.06.2022 को प्राप्त/अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 22.06.2022 मूलरूप में संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1- श्री गोकर्ण सिंह रावत, अनुसचिव क0न0-9 उत्तरी ब्लाक, सचिवालय देहरादून।

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135 / 2226828

04928  
30/6/22. श्री योगी STO

सूचना

सूचना अधिकारी / निदेशक  
निकेशालय कोषागार एवं वेधक एवं हकदारी उत्तराखण्ड  
23, लुधियारी रोड डालनगला, देहरादून,

दिनांक 28/22

विषय - वेधन / 2022-23 - दिनांक 22-6-2022.  
अहोदय,

सूचना अधिकार अधिनियम 1995 के अनुसार  
निम्न विन्दुओं पर अपनी आवृत्त विधिति समय  
के अन्दर प्रेषित करने की कृपा करें।

विन्दु - 1 - प्रधानाध्यक्ष / प्रबन्धक, इण्डर कॉलेज किल्लौरगल  
पाड़ी गढ़वाल के पत्रांक / 1739 / वेधन / अवेधक  
देयक / 2021-22 दिनांक 15-3-2022 के अवेधकान  
के परन्तान्त 2- प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं हुई  
जब कि प्रकरण शान्त 2022 का है,

विन्दु 2 - प्रकरण शान्त 22 से जून 22 तक किस स्थिति  
में है कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें,

विन्दु 3 - उक्त प्रकरण पर कब तक सुशासन की कार्यवाही  
होगी, स्पष्ट करने की कृपा करें,

संलग्न - पोस्टल आर्डर कीमत 10=00  
(दस रुपये) मूल्य नकद संलग्न  
विषय आ रहा है।

अहोदय -  
दिनांक 28/6/2022  
(लुधियारी इलाह हंसारी)  
शासकी विहार फ्लोर - 2  
लुधियारी रोड, कोशी विभाग  
रायपुर (नेपाल)

:: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र ::

कार्यालय का नाम व पता: निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या: 2329/37/30.06.2022/नि:को/आर.टी.आई./2022 दिनांक: 02 जुलाई, 2022

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय- कोषागार पीडी गढ़वाल  
उत्तराखण्ड।

कृपया श्री अनुसूया प्रसाद ध्यानी, गायत्री विहार फेस-2, उदयपुरी चोपडा, पो0 चिल्किया, रामनगर, नैनीताल का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 22.06.2022 जो इस निदेशालय को सम्बोधित है तथा इस निदेशालय की कम्प्यूटर डायरी में दिनांक 30.06.2022 को अंकित है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 22.06.2022 संलग्न कर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस आशय से हस्तान्तरित किया जा रहा है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना, अनुरोधकर्ता को नियमानुसार अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित अनुरोध-पत्र का अनिवार्य शुल्क नगद (₹0 10/-) इस निदेशालय को उपलब्ध है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135/2226828

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री अनुसूया प्रसाद ध्यानी, गायत्री विहार फेस-2, उदयपुरी चोपडा, पो0 चिल्किया, रामनगर, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

( जगत मोहन जोशी )  
लोक सूचना अधिकारी/  
उप कोषाधिकारी  
0135/2226828